भारतीय वैश्विक
परिषद

SAPRU HOUSE PAPER

एशिया में सहभागिता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर सम्मेलन

CICA

सक्रिय महाद्वीप में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना

अतहर ज़फर

एशिया में सहभागिता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर सम्मेलन

सक्रिय महाद्वीप में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना

अतहर ज़फर

भारतीय वैश्विक परिषद

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच. एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान एवं विचार भंडार के रूप में काम करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ- साथ अतिथि विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान के कार्य करती है। यह नियमित रूप से बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान भी शामिल होते हैं। परिषद प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके पास समृद्ध पुस्तकालय है, इसकी वेबसाइट सक्रिए रूप से काम करती है और यह ***इंडिया*** नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों में विकास करने हेतु आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ- समूहों और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक अनुबंध किए हैं। परिषद की साझेदारी भारत के अग्रणी शोध संस्थानों, विशेषज्ञ समूहों और विश्वविद्यालयों के साथ भी है।

एशिया में सहभागिता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर सम्मेलन
सक्रिय महाद्वीप में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना

प्रथम प्रकाशन, सितंबर 2024

© भारतीय वैश्विक परिषद

आ ई ए स बी ए न : 978-93-

83445-86-8

सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी अंश को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम- इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, से, या अन्यथा पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से लेखकों का है और उनकी व्याख्या आवश्यक नहीं है कि भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीतियों को प्रतिबिंबित करती हो।

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड नई
दिल्ली 110001, भारत

दूरभाष: +91-11-2331 7246 | फैक्स: +91-11-2332 0638

www.icwa.in

विषयवस्तु

परिचय 5

खंड I

सीआईसीए(CICA) का गठन और विकास 11

खंड II

सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में एशिया में सहयोग 37

खंड III

भारत- सीआईसीए (CICA) सहभागिता 55

खंड IV

परिवर्तन और आगे की राह 67

निष्कर्ष 73

लेखक के बारे में 79

परिचय

एशिया महाद्वीप, इसमें अरबों लोग रहते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे अधिक विविधताओं से भरा महाद्वीप है।[1] दुनिया की लगभग 60 फीसदी आबादी इस महाद्वीप में रहती है। साल 2030 तक इसकी आबादी 5 अरब हो जाने का अनुमान है।[2] एशिया में कई प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया है जैसे सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया और विश्व की लगभग सभी मुख्य आस्था प्रणालियों, प्रमुख दर्शनों और लोकप्रिय मूल्यों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। यह महाद्वीप प्राकृतिक ऊर्जा और संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। उत्तर और पश्चिम में यह यूरोप एवं अफ्रीका से और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। हिंद, प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ने वाले एशिया के भूगोल में कई महत्वपूर्ण परिवहन गलियारे शामिल हैं। ये गलियारे, जिनमें भूडमरूमध्य (इस्थमस), दर्रे, समुद्र, जलडमरूमध्य और नहरें शामिल हैं, अंतरमहाद्वीपीय और क्षेत्रीय भूमि एवं महासागरीय व्यापार और वाणिज्य दोनों को सुविधाजनक बनाते हैं। एशिया महाद्वीप ने पूरे इतिहास में मानवता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इस महाद्वीप ने 2021 में विश्व जीडीपी (क्रय शक्ति समता पर) में 42 प्रतिशत का योगदान दिया, जो किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक था।[3] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार एशिया 2024 में वैश्विक आर्थिक विकास में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देगा।[4]

एशिया महाद्वीप ने पूरे इतिहास में मानवता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इस महाद्वीप ने 2021 में विश्व जीडीपी (क्रय शक्ति समता पर) में 42 प्रतिशत का योगदान दिया, जो किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक था।

एशिया के विशाल और विविधतापूर्ण परिदृश्य में सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती वास्तव में एक दीर्घकालिक मुद्दा रहा है जो अलग- अलग प्रकार की जटिलताओं एवं ऐतिहासिक विरासतों से चिन्हित है। एशियाई देशों के बीच एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा की भावना प्राप्त करने हेतु लंबे समय से प्रयास किए गए हैं लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ है।

अपने पूरे इतिहास में एशिया महाद्वीप ने मृत्यु, विनाश और आपदाओं समेत कई चुनौतियों के साथ- साथ सार्थक विकास का भी अनुभव किया है। एशिया के कई क्षेत्रों ने विदेशी ताकतों द्वारा बाहरी आक्रमण, कब्ज़े और औपनिवेशिक शासन को भी झेला है। इन अनुभवों ने महाद्वीप के विकास और बाहरी जुड़ाव के अलग- अलग मार्गों को प्रभावित करते हुए विविध राजनीतिक एवं विकासात्मक प्रक्षेपवक्रों को जन्म दिया है। वास्तव में, एशिया के विविध ऐतिहासिक अनुभवों के परिणामस्वरूप राजनीतिक एवं आर्थिक मार्गों की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आई है। वर्तमान में एशिया के अलग- अलग क्षेत्र और देश अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यह विविधता प्रत्येक राष्ट्र एवं क्षेत्र की अनूठी परिस्थितियों, नीतियों एवं ऐतिहासिक संदर्भों को दर्शाती है। एशिया के कुछ क्षेत्र और देश गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं जिनमें आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर खतरे शामिल हैं।

एशिया के विशाल एवं विविधताओं से भरे भू-भाग में सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती वास्तव में एक दीर्घकालिक मुद्दा रहा है जो विभिन्न जटिलताओं एवं ऐतिहासिक विरासतों से चिन्हित है। एशियाई देशों के बीच एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा की भावना विकसित करने के प्रयास लंबे समय से किए गए हैं लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ है। इस कठिनाई में बहुत सारे कारक योगदान करते हैं जिसमें महाद्वीप का विशाल भौगोलिक आकार, अलग-अलग संस्कृतियां, राजनीतिक व्यवस्थाएं, ऐतिहासिक संघर्ष और आर्थिक असमानताएं शामिल हैं। सभी देशों को एक साझा मंच पर लाने के लिए दूरदर्शिता, संसाधनों एवं क्षमताओं के संयोजन की आवश्यकता होती है जिसकी क्षमता किसी एक देश में नहीं दिखती।

अतीत में एक उपकरण के रूप में विभाजन एवं संघर्ष का उपयोग वर्तमान में एशिया को प्रभावित करना जारी रखता है। इन ऐतिहासिक विरासतों ने अक्सर अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों, जातीय तनावों और भू- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया है जो आज भी कायम हैं।

उन्नीस सौ नब्बे (1990) के दशक की शुरुआत में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद एशिया और यूरेशिया पर, खास तौर पर नए राष्ट्रों के उदय और राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्यों के पुनर्गठन के साथ, गहरा भू- राजनीतिक प्रभाव पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जहाँ एशिया के ज्यादातर देश स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक रास्ते तय कर सकते थे। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के पतन ने, जिसने मध्य एशिया के विशाल क्षेत्रों पर प्रभाव डाला था, इस क्षेत्र को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य एशिया, जिसमें कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़बेकिस्तान शामिल हैं, एशियाई कूटनीति और सहयोग में नई गतिशीलता हेतु एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है।

इन मध्य एशियाई देशों ने क्षेत्र में प्राथमिक बाहरी शक्ति के रूप में यूएसएसआर के बाहर निकलने के बाद सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय एकीकरण हेतु मार्ग तलाशने शुरू कर दिए। नए भू- राजनीतिक गतिशीलता, विशेष रूप से मध्य एशिया में, जिसने पड़ोस में अपनी भूमिका और संबंधों को परिभाषित करने की मांग की, आकार लेना शुरू कर दिया। मध्य एशियाई क्षेत्रीय देशों ने सामूहिक सुरक्षा के सामान्य कारकों को खोज़ने के लिए कदम उठाए। इस अवधि ने एशियाई मैत्री की दिशा में एक अभियान को प्रोत्साहित किया,

समय के साथ सीआईसीए लोकप्रिय होता चला गया। इस पहल में निवारक कूटनीति, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक मजबूत तंत्र की परिकल्पना की गई थी।

जिसने देशों को आपसी सहयोग एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय ताकतों के साथ जुड़ने को प्रेरित किया।

दिसंबर 1991 में अपनी स्वतंत्रता के ठीक एक साल बाद कज़ाकिस्तान से एक औपचारिक पहल आई। निवारक कूटनीति के हिस्से के रूप में इस पहल को मूल रूप से एशिया में सहभागिता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीएमए/CICMA) के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन समय के साथ सीआईसीए नाम अधिक लोकप्रिय हो गया। इस पहल में निवारक कूटनीति, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक मजबूत तंत्र की परिकल्पना की गई थी। आरंभ में सीआईसीए पहल में प्रगति धीमी रफ्तार से हुई क्योंकि सदस्य देशों को महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी, समय के साथ सीआईसीए ने रफ्तार पकड़ी और एशियाई देशों के सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण अखिल एशियाई मंच के रूप में उभरा।

हाल ही में, सीआईसीए ने क्षेत्रीय सहयोग में और अधिक जोश भरने और सुरक्षा से परे क्षेत्रों में सहयोग के दायरे को व्यापाक बनाने के लिए खुद को एक पूर्ण क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने का फैसला, अस्ताना में आयोजित छठे सीआईसीएस शिखर सम्मेलन, के दौरान किया है।

सीआईसीए ने क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक सशक्त बनाने तथा सुरक्षा से परे अन्य क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए स्वयं को एक पूर्ण क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2022 में, 'अस्ताना वचन' को अपनाया गया, जिसमें सीआईसीए के क्रमिक, वृद्धिशील और सर्वसम्मति- आधारित परिवर्तन के लिए एक व्यवस्थित, समावेशी और खुली बातचीत प्रक्रिया पर जोर दिया गया ताकि इसे एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बनाया जा सके। वास्तव में, यह परिवर्तन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों में चल रहे परिवर्तनों से प्रभावित है। सीआईसीए में न केवल आकांक्षात्मक बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन भी चल रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को महासचिव के पद से बदल दिया गया है, जो सीआईसीए प्रशासन और सचिवालय का नेतृत्व करेंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य संगठन के भीतर शासन और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना है।

सीआईसीए का परिवर्तन सदस्य देशों के बीच परंपरागत सुरक्षा चिंताओं से परे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, सीआईसीए ने अपने दायरे का विस्तार किया है और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों एवं मंचों के साथ बातचीत शुरू की है। इस सक्रिय भागीदारी ने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए आधार तैयार किया है, जिससे तालमेल बढ़ा है। आज, अपनी स्थापना के लगभग तीन दशक बाद, सीआईसीए ने प्रशांत महासागर से भूमध्य सागर तक और यूराल से लेकर हिंद महासागर तक एक विशाल क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रीय तंत्र के रूप में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2014, सीआईसीए और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सचिवालयों ने एक आपसी वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए क्योंकि दोनों संगठन सुरक्षा, विवाद समाधान, उग्रवाद का विरोध आदि समेत कई आम मुद्दों पर विचार साझा करते हैं। सीआईसीए ने संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न एजेंसियों, एससीओ- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ) और अरब लीग समेत अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया है।

सीआईसीए अपने सदस्यों के बढ़ते एवं विविध सहयोग पर विश्वास करते हुए, बदलती क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता का जवाब देने एवं व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में उभरती सुरक्षा एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने में अपने सदस्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग बनाने हेतु स्वयं को तैयार कर रहा है।

यह क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर सुरक्षा समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक अच्छा तालमेल बनाता है। सीआईसीए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ/ ARF), और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू/ EAEU) आदि जैसे संगठनों के साथ अधिक- से- अधिक बाहरी संबंध बनाना जारी रखता है।

इन घटनाक्रमों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सीआईसीए अपने सदस्यों के बढ़ते एवं विविध सहयोग पर विश्वास करते हुए, बदलती क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता का जवाब देने एवं व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में उभरती सुरक्षा एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने में अपने सदस्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग बनाने हेतु स्वयं को तैयार कर रहा है।

सीआईसीए जैसी पहलों के माध्यम से एशिया में एक सहकारी सुरक्षा वास्तुकला के विकास को समझना, विशेष रूप से भारत के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान सप्रू हाउस पेपर सीआईसीए के गठन और विकास पथ का अध्ययन करता है, कि कैसे विभिन्न सदस्य देश सीआईसीए के माध्यम से एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में विस्तार की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। पहल की दक्षता को और बढ़ाने के लिए अनुशंसाओं पर भी एक अनुच्छेद है।

शोध के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का संदर्भ लिया गया है, जिसमें सीआईसीए के आधिकारिक वेब पेज, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सीआईसीए सदस्यों के आधिकारिक दस्तावेज़ और विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत शामिल है।

खंड I

सीआईसीए का गठन और विकास

सीआईसीए के गठन का विचार 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में एशियाई एवं यूरेशियाई क्षेत्र के जटिल भू- राजनीतिक एवं भू- आर्थिक परिदृश्यों के भीतर आकार ले चुका था। इस अवधि के दौरान कई कारक क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित कर रहे थे। लंबे समय से एशियाई और यूरेशियाई क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का अभाव रहा है जो पूरे क्षेत्र को आमतौर पर सहमत सिद्धांतों पर कवर करता हो और इसके थल, जल एवं वायु क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार रखता हो। एशिया में सुरक्षा अक्सर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के कारण कमज़ोर रही है। पूर्व सोवियत गणराज्य, जिनमें से पाँच मध्य एशिया में और तीन दक्षिण कॉकस में स्वतंत्र हुए, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और अचानक खुद को बिना किसी सुरक्षा ढांचे के पाया। मध्य एशिया और दक्षिण कॉकस के देशों की सीमाएँ अस्थिर थीं। इसके अलावा, मध्य यूरेशिया और उसके कुछ परिधीय क्षेत्र आतंकवाद और अलगाववाद के कारण उत्पन्न असुरक्षा से जूझ रहे थे। मध्य एशियाई क्षेत्र में, ताजिकिस्तान में गृह युद्ध (1992-97) ने न केवल देश के लिए बल्कि उसके पड़ोसी देशों के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती पेश की। ताजिक गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए।

मध्य एशिया का दक्षिणी पड़ोसी अफगानिस्तान लंबे समय से उथल-पुथल में था। अफगानिस्तान में तालिबान का उदय उसके मध्य एशियाई पड़ोसियों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के लिए चिंता का विषय था।

लंबे समय से एशियाई और यूरेशियाई क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का अभाव रहा है जो पूरे क्षेत्र को आमतौर पर सहमत सिद्धांतों पर कवर करता हो और इसके थल, जल एवं वायु क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार रखता हो।

हाल के वर्षों में, अखिल एशियाई या यूरेशियाई सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की गई है।

सितंबर 2001 में अमेरिका पर अल-कायदा के हमले भी इसी अवधि के दौरान हुए थे। अमेरिका ने तालिबान पर हमलावरों को शरण देने का आरोप लगाया और मध्य एशियाई देशों ने बाद में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियान को समर्थन दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए विदेशी शक्तियों ने इस क्षेत्र में कई सैन्य अड्डे और प्रतिष्ठान स्थापित किए, जिनमें दक्षिणी उज्बेकिस्तान में करशी-खानाबाद और किर्गिस्तान में मानस एयर बेस शामिल हैं। अमेरिकी वायु सेना के विमानों को दुशांबे के पास आयनी एयर बेस पर ईंधन भरने की अनुमति दी गई थी। कजाकिस्तान ने उड़ान के अधिकार सौंप दिए थे और वह उत्तरी वितरण नेटवर्क का हिस्सा था।

एशियाई क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, भूमि और समुद्री सीमा विवाद, अंतर-देशीय संघर्ष, प्रमुख शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्र में उनके आचरण, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और स्थापित मानदंडों का पालन न करने, सैन्य आक्रमणों, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का खामियाजा भुगता है। इसके अलावा, खाड़ी क्षेत्र में तनाव और संघर्ष व्याप्त थे, और एशिया एवं यूरेशिया के कुछ अन्य हिस्से अलगाववाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जूझ रहे थे।

हाल के वर्षों में, पैन-एशियाई या यूरेशियन सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की गई है। एशिया दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं का घर है। इस महाद्वीप में बड़ी संख्या में मिसाइल उत्पादक और निर्यातक देश हैं। हाल के वर्षों में, एशिया के सैन्य खर्च में, खासकर विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिर सुरक्षा स्थितियों के मद्देनजर, 'बड़ी वृद्धि' देखी गई है।[5]

कजाकिस्तान का लक्ष्य क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करके आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना था। सीआईसीए का विचार एशियाई देशों के बीच संवाद, विश्वास निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में उभरा।

इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई/ SIPRI) के अनुसार 2023 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 2022 की तुलना में वास्तविक रूप से 6.8 प्रतिशत बढ़कर 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इसके अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित सशस्त्र बल एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं।

एशिया में एक विश्वसनीय और सहयोगात्मक सुरक्षा तंत्र बनाना अनिवार्य हो गया। इसलिए, एशियाई देशों को कुछ ऐसे आधारभूत नियम विकसित करने की आवश्यकता थी जो महाद्वीप के देशों की विविध चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें। एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना की आवश्यकता थी जो विविध सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित कर सके और शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सके।

कजाकिस्तान हाल ही में स्वतंत्र हुआ था और इसमें आर्थिक संभावनाओं की भरमार थी। मध्य एशिया के मध्य में स्थित, कजाकिस्तान ने राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और आतंकवाद और अलगाववाद जैसे उभरते खतरों का सामना कर रहे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच की आवश्यकता को पहचाना। कजाकिस्तान का लक्ष्य क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करके आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना था। सीआईसीए का विचार एशियाई देशों के बीच संवाद, विश्वास निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में उभरा।

सीआईसीए का कजाकिस्तान दृष्टिकोण

कज़ाकिस्तान ने सीआईसीए की अवधारणा को साकार करने और उसे मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एशियाई देशों के बीच विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से साझा सुरक्षा प्राप्त करने का विचार कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने अपने परमाणु हथियारों के भंडार को त्यागने की योजना बनाई थी। देश के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार था।[6] अपने परमाणु हथियारों को त्यागकर, कजाकिस्तान ने क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता और प्रयास को प्रदर्शित किया। कजाकिस्तान ने 1993 में अपने सोवियत विरासत वाले परमाणु हथियारों को त्यागकर और सेमिपालाटिंस्क परीक्षण स्थल को बंद करके परमाणु अप्रसार में अपना वैश्विक नेतृत्व दिखाया।[7] कजाकिस्तान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में अपना अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ाने में सफल रहा है। बाद के वर्षों में, यह देश ईरानी परमाणु समझौते पर बातचीत का स्थान रहा और इसने सीरिया पर अंतरराष्ट्रीय बैठकों और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वार्ता की मेजबानी भी की।

मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विचारों से प्रेरित होकर, कजाकिस्तान के पूर्व और प्रथम राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव ने एशिया के लिए स्थानीय सुरक्षा संरचना विकसित करने के लिए एक नया विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने 5 अक्टूबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में अपने संबोधन में इस अवधारणा को स्पष्ट किया।[8] यह ध्यान देने योग्य बात है कि कज़ाकिस्तान को अभी- अभी संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था और पूर्व राष्ट्रपति महासभी के मंच से अफना पहला भाषण दे रहे थे। राष्ट्रपति नूरसुल्तान को सीआईसीए (CICA) का संस्थापक माना जाता है और 5 अक्टूबर को सीआईसीए दिवस के रूप में मनाया जाता है।[9]

प्रारंभिक तैयारी के वर्षों के बाद, 2000 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में जटिल सुरक्षा स्थिति के कारण इस पहल को वास्तविक गति मिली।

सीआईसीए का गठन

वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र में कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के बाद से विकास प्रक्रिया, गठन विचार- विमर्श और प्रारंभिक दस्तावेजों की आधारभूत तैयारी में लगभग एक दशक का समय लगा। सीआईसीए के शुरुआती वर्षों के दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के भाषण के बाद ती वर्षों (1992-94) के पहले चरण में कज़ाकिस्तान द्वारा इच्छुक देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की तीन बैठकें आयोजित की गई। धीरे-धीरे, प्रतिभागियों की सं. 12 से बढ़कर 25 से अधिक हो गई।[10] यह कहा जा सकता है कि इस चरण की मुख्य उपलब्धि यह थी कि प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा मतभेदों को सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए ठोस समाधान खोजने के प्रयासों में बाधा नहीं बनना चाहिए। दूसरे चरण में, जो लगभग 1995 से 1999 तक चला, इच्छुक राज्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारी के लिए एक समर्पित विशेष कार्य समूह का गठन किया गया। संगठन के लिए आधारभूत दस्तावेज भी इसी चरण में तैयार किए गए थे।

वैधानिक और विनियामक दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हें अपनाया गया, जिससे सीआईसीए के भीतर राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी सहयोग की रूपरेखा तैयार हुई। सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए दो दस्तावेज- चार्टर और घोषणा- को सहयोग का आधार माना जाता है। अल्माटी अधिनियम[11] या सीआईसीए का चार्टर 2002 में अल्माटी में आयोजित प्रथम शिखर बैठक में अपनाया गया था। दूसरे मौलिक दस्तावेज को सीआईसीए सदस्य देशों के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों पर

आज, सीआईसीए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय परामर्श मंच के रूप में स्थापित है जिसका उद्देश्य विशाल और विविधापूर्ण एशिया महाद्वीप में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है।

घोषणापत्र कहा जाता है।[12] इसे 1999 में अल्माटी में आयोजित विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में अपनाया गया था।

अपने संस्थापक चार्टर या अल्माटी अधिनियम को अपनाकर, सीआईसीए ने 4 जून 2002 को कज़ाकिस्तान की पूर्व राजधानी अल्माटी शहर में आयोजित सीआईसीए राष्ट्राध्यक्षों के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप लिया। भारत सीआईसीए का संस्थापक सदस्य रहा है और 2002 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था। उद्घाटन शिखर सम्मेलन के बाद से, सीआईसीए ने पाँच अन्य शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं: 2006 में अल्माटी, 2010 में इस्तांबुल, 2014 में शंघाई, 2019 में दुशांबे और 2022 में अस्ताना में।

वर्तमान में कजाकिस्तान सीआईसीए का अध्यक्ष है। अब तक कजाकिस्तान, तुर्की, चीन और ताजिकिस्तान ने सीआईसीए की अध्यक्षता की है। मार्च 2024 में सीआईसीए मंत्रिस्तरीय परिषद ने निर्णय लिया कि अज़रबैजान 2024-2026 में सीआईसीए का अध्यक्ष होगा और 2026 में सातवें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।[13] अध्यक्षता सर्वसम्मति से तय की जाती है; हालाँकि, इस बात पर बहस चल रही है कि सीआईसीए अध्यक्ष, महासचिव और उप महासचिव के चुनाव के लिए मतदान शुरू किया जाए या नहीं। अध्यक्षता की भूमिका में सीआईसीए अध्यक्ष देश और सदस्य देशों द्वारा गतिविधियों का समन्वय करना शामिल है।

आज, सीआईसीए एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय परामर्श मंच के रूप में खड़ा है जिसका उद्देश्य एशिया के विशाल और विविध महाद्वीप में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है।

सीआईसीए पहले से ही एशिया के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या को कवर करता है

धीरे-धीरे अन्य एशियाई देश भी इसमें शामिल हो गए और अब इस पहल में कुल 48 एशियाई देशों के 28 सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में, सीआईसीए पहले से ही एशिया के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या को कवर करता है।[14] सीआईसीए का सदस्य होने के लिए, किसी देश के पास एशिया में कम- से- कम उसका एक हिस्सा होना चाहिए।

अमेरिका समेत अन्य देश, साथ ही संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन, इस फोरम में पर्यवेक्षक हैं। अमेरिका कम से कम 2010-15 से पर्यवेक्षक रहा है, और यह सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि यह भौगोलिक रूप से एशिया में स्थित नहीं है। अमेरिका को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने से संकेत मिलता है कि सीआईसीए और उसके सदस्यों ने एशियाई सुरक्षा और अन्य मामलों में अमेरिकी भागीदारी को सकारात्मक रूप से माना है।

सीआईसीए का उद्देश्य

संप्रभुता, धमकी या बल का प्रयोग न करने, क्षेत्रीय अखंडता और सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग के मूल सिद्धांतों के आधार पर, सीआईसीए बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस एशियाई मंच का उद्देश्य सहयोग को बढ़ाकर महाद्वीप के भीतर और बाहर स्थिरता, सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना है।

संप्रभुता, धमकी या बल का प्रयोग न करने, क्षेत्रीय अखंडता और सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर, सीआईसीए बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है।

इस पहल में एशियाई सुरक्षा सहयोग की दिशा में धीरे- धीरे बदलाव की परिकल्पना की गई है। यह माना गया कि कम विवादित क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपाय किए जाने चाहिए और धीरे- धीरे चुनौतीपूर्ण मामलों की ओर बढ़ना चाहिए।

सीआईसीए के परिभाषित लक्ष्य हैं: बहुपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से सहयोग बढ़ाना; व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना; पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग करना; मानवीय मुद्दों के समाधान के लिए विश्वास निर्माण उपायों का विकास करना; सभ्यताओं के बीच संबंधों में पारस्परिक सम्मान, समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना; सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना और अंततः उन्हें समाप्त करना; सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खतरे को खत्म करना; और अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी का मुकाबला करना।[16]

इस पहल में एशियाई सुरक्षा सहयोग की दिशा में क्रमिक बदलाव की परिकल्पना की गई है। यह माना गया कि कम विवादित क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपाय किए जाने चाहिए और धीरे- धीरे चुनौतीपूर्ण मामलों की ओर बढ़ना चाहिए। सीआईसीए प्रक्रिया के शुभारंभ के बाद से, मंच ने अपनी गतिविधियों के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने और बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

सीआईसीए की रूपरेखा

सीआईसीए ने अपने संस्थागतकरण के लिए कदम उठाए हैं, जिससे सदस्य देश साझा हितों के विभिन्न क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक बातचीत कर सकें। सीआईसीए के संगठनात्मक ढांचे में तीन मुख्य निकाय और एक स्थायी कार्यकारी - सचिवालय शामिल है -

जो सीआईसीए की गतिविधियों के लिए ठोस और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। सीआईसीए की तीन मुख्य एजेंसियाँ हैं:

सीआईसीए शिखर सम्मेलन: राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की बैठक पहल का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है। राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने, घोषणाओं को अपनाने और मंच की प्राथमिकताओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समय-समय पर (हर चार साल में) इकट्ठा होते हैं। साल 2002 से अब तक छह सीआईसीए शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। सातवें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2026 में अज़रबैजान द्वारा की जाएगी।

मंत्रिस्तरीय बैठक: सीआईसीए की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी विदेश मंत्रियों की बैठक है। विदेश मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी मंत्रिस्तरीय बैठक (हर दो साल में) राजनीतिक संवाद, नीति समन्वय और सीआईसीए की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

वरिष्ठ अधिकारियों की समिति: वरिष्ठ अधिकारियों की समिति उपरोक्त दोनों के समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था है। यह सीआईसीए के भीतर बातचीत के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ सचिवालय की गतिविधियों के प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों और विशेष कार्य समूह द्वारा इसे प्रस्तुत किए गए सभी मुद्दों पर निर्णय लेती है।

स्थायी सचिवालय: सीआईसीए ने 2006 में कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी अल्माटी में अपना सचिवालय स्थापित किया। सचिवालय 2014 में कजाकिस्तान की नई राजधानी अस्ताना में स्थानांतरित हो गया। सचिवालय प्रशासनिक शाखा के रूप में कार्य करता है, सदस्य देशों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है, बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और शिखर सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय बैठकों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है।

यह मंच की सभी गतिविधियों के लिए प्रशासनिक, संगठनात्मक, तकनीकी और सूचनात्मक सहायता प्रदान करके कार्य भी करता है, जिसमें सीआईसीए बैठकें, सीबीएम का कार्यान्वयन, बाह्य संबंध, अध्यक्षता में सहायता और अन्य कार्य शामिल हैं।

सचिवालय के कार्यकारी निदेशक महासचिव सचिवालय की गतिविधियों, प्रशासनिक, वित्तीय और कार्मिक प्रबंधन तथा बाहरी सहयोग हेतु उत्तरदायी हैं।

जून 2024 में, सीआईसीए ने कज़ाख राजधानी अस्ताना में एक नए मुख्यालय का निर्माण शुरू किया। भूमिपूजन समारोह में, प्रतिभागियों ने सीआईसीए सचिवालय के भावी सहयोगियों के लिए एक संदेश युक्त आधारशिला के भीतर एक 'टाइम कैप्सूल' रखा। इस कैप्सूल को 2049 में खोलने का इरादा है, जो सीआईसीए की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। नया मुख्यालय अस्ताना की ऐतिहासिक इमारतों में से एक बनना चाहता है। इमारत में चार मंजिलें होंगी, जिनका कुल क्षेत्रफल 4,000 वर्ग मीटर होगा, और एक मल्टीफ़ंक्शन हॉल होगा।

सीआईसीए की व्यावहारिक गतिविधियाँ

सीआईसीए एशिया भर में हितों और चिंताओं की एक श्रृंखला पर विश्वास और आम सहमति बनाने के लिए काम कर रहा है। यह मानते हुए कि सदस्य देशों के पास अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव हेतु विभिन्न विकास लक्ष्य और दृष्टिकोण हैं, सीआईसीए सामूहिक सुरक्षा के लिए एशिया में आम संरचना बनाने के लिए क्रमिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है। सीआईसीए का मानना है कि बातचीत और सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा हासिल की जा सकती है, जिससे एशिया में सुरक्षा का एक साझा अविभाज्य क्षेत्र बन सकता है।[17] अधिक परस्पर निर्भरता से अधिक क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि आएगी।

सीआईसीए के सदस्य और प्रेक्षक

क्र. सं.	सदस्य	प्रेक्षक	प्रेक्षक संगठन	साझेदार संगठन
1.	अफगानिस्तान	बेलारूस	अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम/ IOM)	असेम्ब्ली ऑफ पीपल ऑफ कजाकिस्तान (एपीके/ APK)
2.	अज़रबैजान	इंडोनेशिया	संयुक्त राष्ट्र (यूएन/ UN)	आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ/ ECO)
3.	बहरीन	जापान	ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप (ओएससीई/ OSCE)	शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ/ SCO)
4.	बांग्लादेश	लाओस	लीग ऑफ अरब स्टेट्स (एलएएस/ LAS)	एससीओ रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (आरएटीएस/ RATS)
5.	कम्बोडिया	मलेशिया	टर्किक स्टेट्स की संसदीय सभा	यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी/ UNODC)
6.	चीन	फिलिपींस		यूरेशियन आर्थिक संघ
7.	मिस्र	सउदी अरब		
8.	भारत	तुर्कमेनिस्तान		
9.	ईरान	यूक्रेन		
10.	इराक	अमेरिका		
11.	इस्रायल			
12.	जॉर्डन			
13.	कजाकिस्तान			
14.	कुवैत			
15.	किर्गिस्तान			
16.	मंगोलिया			
17.	पाकिस्तान			
18.	फिलिस्तीन			
19.	कतर			
20.	रिपब्लिक ऑफ कोरिया			

21.	रूस			
22.	श्रीलंका			
23.	ताजिकिस्तान			
24.	थाईलैंड			
25.	तुर्किए			
26.	यूएई/ संयुक्त अरब अमीरात			
27.	उजबेकिस्तान			
28.	वियतनाम			

स्रोत: सीआईसीए की वेबसाइट https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=member_states

Inclusiveness defines all of the activities of CICA. The CICA Member States enjoy equal status and take decisions by consensus

जून 2024 में, सीआईसीए ने कज़ाख राजधानी अस्ताना में एक नए मुख्यालय का निर्माण शुरू किया। भूमिपूजन समारोह में, प्रतिभागियों ने आधारशिला के भीतर एक 'टाइम कैप्सूल' रखा जिसमें सीआईसीए सचिवालय के भावी सहयोगियों के लिए एक संदेश था। इस कैप्सूल को 2049 में खोला जाना है, जो सीआईसीए की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

एशिया द्वारा साझा किए जाने वाले विभिन्न हितों और मुद्दों पर विश्वास और सहमति बनाना ही सीआईसीए का लक्ष्य है। विकास संबंधी प्राथमिकताओं में असमानताओं को समझते हुए और सदस्य देशों द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और विकास में अपनाए गए अलग-अलग दृष्टिकोणों को समायोजित करते हुए, सीआईसीए एशिया में सामूहिक सुरक्षा हेतु एक साझा ढांचे के निर्माण की दिशा में क्रमिक प्रगति पर जोर देता है। सीआईसीए के अनुसार, संचार और सहयोग से एशिया में सुरक्षा का एक अविभाज्य क्षेत्र बन सकता है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाएगा। क्षेत्र में बढ़ी हुई स्थिरता और समृद्धि बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का परिणाम होगी।

आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय (सीबीएम/CBM)

सीबीएम सीआईसीए पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। एशिया में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, संस्कृति और सुरक्षा हितों वाले कई देश हैं। देशों और क्षेत्रों के बीच असमान

यह स्वीकार करते हुए कि सदस्य देशों के विकास लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के प्रति दृष्टिकोण अलग- अलग हैं, सीआईसीए सामूहिक सुरक्षा के लिए एशिया में साझा संरचना के निर्माण हेतु क्रमिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है।

सीआईसीए के अनुसार, संचार और सहयोग से एशिया में सुरक्षा का एक अविभाज्य क्षेत्र बन सकता है, जिससे क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थिति बनेगी और क्षेत्र अधिक सुरक्षित भी बनेगा।

विकास असंतोष का स्रोत हो सकता है। इसलिए, स्थिर शांति प्राप्त करने के लक्ष्य के रूप में संतुलित और सामूहिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच विश्वास का निर्माण महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एशियाई बहुपक्षीय ढांचे के रूप में, सीआईसीए विभिन्न आयामों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों को अपनाकर एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सीआईसीए ने मुख्य रूप से क्षेत्र के अलग- अलग भू- राजनीतिक परिदृश्य और देशों के विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों के कारण सीबीएम दृष्टिकोण को अपनाया है। इन कारकों ने साझेदारी या सामूहिक रक्षा पर आधारित पारंपरिक सुरक्षा ढांचे को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

सीबीएम को टकराव के बजाय देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सीआईसीए, एक एशियाई बहुपक्षीय ढांचे के रूप में, विभिन्न आयामों में विश्वास निर्माण उपायों को अपनाकर एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

सीआईसीए ने मुख्य रूप से क्षेत्र के विविध भू-राजनीतिक परिदृश्य और देशों के अलग-अलग ऐतिहासिक अनुभवों के कारण सीबीएम दृष्टिकोण अपनाया है।

सीबीएम को चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाता है, जबकि इसमें पहचाने गए उपाय प्रकृति में अनुशंसात्मक होते हैं।

सीबीएम को टकराव के बजाय देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र के विविध और जटिल सुरक्षा वातावरण के साथ अधिक संगत है। 2004 में, सीआईसीए ने पाँच मूलभूत आयामों को संबोधित करने के लिए सीबीएम की सीआईसीए सूची की रूपरेखा तैयार की: आर्थिक, पर्यावरणीय, मानवीय, नई चुनौतियों और खतरों के खिलाफ, और सैन्य-राजनीतिक। आयामों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आगे विभाजित किया गया है। यह सूची सीआईसीए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिसे 2021 में 'आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों की सूची' के रूप में अपनाया गया था।[18] इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सुरक्षा पर सीबीएम शामिल है। सीबीएम को चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाता है जबकि इसमें पहचाने गए उपाय प्रकृति में अनुशंसात्मक होते हैं।

स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने, आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए सीबीएम के सैन्य-राजनीतिक आयाम में सीआईसीए सदस्यों को सशस्त्र बलों, रक्षा बजट, विदेशी सेना की उपस्थिति, नियोजित सैन्य अभ्यास और सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के आपसी दौरों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने सहित उपाय करने की परिकल्पना की गई है। नई चुनौतियों और खतरों के आयामों के सीबीएम के कार्यान्वयन में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे आतंकवाद का मुकाबला, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा, अवैध दवाओं का मुकाबला और महामारी विज्ञान सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हो सकते हैं।

सीबीएम के आर्थिक आयाम में, सदस्य देश विभिन्न परिवहन साधनों को बढ़ावा देने,

सीआईसीए आयामों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सीबीएम के कार्यान्वयन पर संकल्पना पत्रों और कार्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति

सं.	आयाम	प्राथमिकता वाला क्षेत्र		समन्वयक	सह- समन्वयक	संकल्पना पत्र और कार्य योजना की वर्तमान स्थिति
1	**सैन्य- राजनीतिक आयाम**			कजाकिस्तान	तुर्किए	संकल्पना पत्र और कार्य योजना का मसौदा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
2	**नई चुनौतियों और खतरे का आयाम**	1	नई चुनौतियां और खतरे (सामान्य)	तुर्किए	**अफगानिस्तान**	मसौदा संकल्पना पत्र को सीआईसीए सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
		2	आतंकवाद से मुकाबला	भारत	नियुक्त नहीं किया गया	संकल्पना पत्र और कार्य योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
		3	सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) की सुरक्षा और उपयोग	रूस (2022-23, 2024-25)	चीन (2022-23, 2024-25)	मसौदा संकल्पना पत्र को निर्णय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा प्रसारित कर दिया गया है। अद्यतन संकल्पना पत्र सदस्यों की समीक्षा के अधीन है।
		4	गैर- कानूनी दवाओं/ नशीले पदार्थों से मुकाबला	ईरान	अफगानिस्तान	संकल्पना पत्र को 2008 में मंजूरी दी गई थी, जिसे वर्तमान में अद्यतन किया जा रहा है।
		5	महामारी विज्ञान सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स	कजाकिस्तान	**चीन जॉर्डन**	अवधारणा पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
3	**आर्थिक आयाम**	1	लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का विकास	रुस	कजाकिस्तान थाईलैंड तुर्कीए	अवधारणा पत्र को 2021 में मंजूरी दी गई और सदस्य देशों के बीच प्रसारित किया गया। कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और मार्च 2022 में सदस्य देशों के बीच प्रसारित किया गया।
		2	ऊर्जा सुरक्षा	कोरिया गणराज्य	**भारत**	अवधारणा पत्र को 2010 में मंजूरी दी गई थी और वर्तमान में इसे अद्यतन किया जा रहा है।

		3	सूचना प्रौद्योगिकी	कोरिया गणराज्य	बांग्लादेश	2010 में अवधारणा पत्र को स्वीकृत कर लिया गया था। वर्तमान में अद्यतन किया जा रहा है।
		4	पर्यटन	ताजिकिस्तान	श्रीलंका	अवधारणा पत्र को 2022 में मंजूरी दी गई है।
		5	परिवहन गलियारों की सुरक्षित और प्रभावी प्रणालियों का विकास	अज़रबैजान	चीन, भारत	अक्टूबर 2022 में मसौदा अवधारणा पत्र को मंजूरी दे दी गई थी।

सं.	आयाम	प्राथमिकता वाला क्षेत्र		समन्वयक	सह- समन्वयक	संकल्पना पत्र और कार्य योजना की वर्तमान स्थिति
		6	कृषि	चीन	नियुक्त नहीं किया गया	अवधारणा पत्र को 2022 में मंजूरी दी गई थी।
		7	वित्त	चीन	नियुक्त नहीं किया गया	अवधारणा पत्र को 2021 में मंजूरी दी गई थी।
		8	व्यापार और निवेश	नियुक्त नहीं किया गया	किर्गिस्तान तुर्किए	अभी तक समन्वयक की नियुक्ति नहीं की गई है।
4	**पर्यावरणीय आयाम**	1	सतत विकास	थाईलैंड	नियुक्त नहीं किया गया है	संकल्पना पत्र को 2023 में निर्णय द्वारा मंजूरी दी गई थी।
		2	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	इरान	बांग्लादेश	संकल्पना पत्र को 2023 में अनुमोदित किया गया है।
		3	पर्यावरण सुरक्षा	मंगोलिया	बांग्लादेश चीन	संकल्पना पत्र को दिसंबर 2023 में अनुमोदित किया गया था।
5	**मानवीय आयाम**			उजबेकिस्तान	चीन भारत कजाकिस्तान किर्गिस्तान	मसौदा संकल्पना पत्र 2022 में स्वीकृत किया गया। अद्यतित कार्य योजना 6 अप्रैल 2023 को सदस्य देशों को उपलब्ध कराई गई है।

स्रोत: सीआईसीए (CICA) की वेबसाइट https://www.s-cica.org/docs/153928632165fa89b4dde9a.pdf

परिवहन गलियारों के विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यटन, निवेश, तथा व्यापार और आर्थिक हित के अन्य क्षेत्रों पर एक साझा डेटाबेस बनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। मानवीय आयाम में, सहिष्णुता और समझ, वैज्ञानिक, शैक्षिक और खेल जुड़ाव और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। साझा सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए संयुक्त पुरातात्विक अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। सीबीएम के पर्यावरण संरक्षण आयाम में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, आपदा प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के विकास से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करना शामिल है।

सीबीएम कार्यान्वयन

सीआईसीए सदस्य देशों के बीच इसके आंशिक कार्यान्वयन के बावजूद, सैन्य-राजनीतिक आयाम सहयोग का एक केंद्रीय पहलू है। सदस्य देश स्वेच्छा से सीबीएम का समन्वय करते हैं। कुछ सदस्य देश विशिष्ट विश्वास निर्माण परियोजनाओं को लागू करने के लिए समन्वयक या सह-समन्वयक बनने की पेशकश करते हैं। सीबीएम कार्यान्वयन विधियों में समन्वय और समन्वय भूमिकाएँ स्थापित करना, विशेषज्ञ बैठकें आयोजित करना, अवधारणा पत्र और कार्य योजनाएँ विकसित करना, विशिष्ट गतिविधियाँ करना, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और सहयोग के विभिन्न अन्य रूप शामिल हैं।

सदस्य दो तरीकों से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से सीबीएम को स्वेच्छा से लागू कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया में, सदस्य राज्य सीबीएम के किसी विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद, सीआईसीए अध्यक्ष उन राज्यों से समन्वय करने वाले देश/देशों की नियुक्ति के बारे में परामर्श कर सकते हैं। अध्यक्ष नामित देश से विषय का एक मसौदा अवधारणा नोट तैयार करने का अनुरोध करेंगे। सीआईसीए सचिवालय सदस्यों के बीच उनके विचारों और इनपुट के लिए नोट वितरित करेगा, और फिर निर्णय के लिए विचार किया जाएगा। दूसरी प्रक्रिया में, सीआईसीए सदस्य राज्य पहले चरण के रूप में सीआईसीए अध्यक्ष और सचिवालय के माध्यम से किसी विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाह सकते हैं। अध्यक्ष और सचिवालय सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को संकलित करेंगे और एक डेटाबेस स्थापित करेंगे। सदस्य विशिष्ट सीआईसीए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को नामित कर सकते हैं। सीआईसीए सचिवालय मुद्दों के मूल को संबोधित करने और योग्य विशेषज्ञों को एक कार्य पत्र तैयार करने का काम सौंपने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ सदस्य/पर्यवेक्षक राज्यों में विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए रसद सहायता प्रदान करेगा। कार्यपत्र पर विशेष कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) में तथा बाद में आगे विस्तार

और निर्णय के लिए वरिष्ठ अधिकारी समिति (एसओसी) में विचार किया जाना चाहिए।[19]

सीआईसीए की शैक्षणिक गतिविधियाँ- थिंक टैंक फोरम (विचार मंच)

सीआईसीए थिंक टैंक फोरम (टीटीएफ/TTF) सदस्य देशों के बीच अकादमिक आदान- प्रदान और लोगों के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण मंच है। साल 2014 में सीआईसीए के शंघाई शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर स्थापित, सीआईसीए टीटीएफ (CICA TTF) ट्रैक ।। तंत्र के रूप में काम करता है जहाँ अग्रणी विचारक सीआईसीए (CICA) की नीति दिशा पर चर्चा करते हैं और प्रगति का आकलन करने एवं इसके भविष्य के विकास की अनुशंसा प्रस्तावित करने हेतु हर साल एक बार मिलते हैं। वर्ष 2021 में आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से स्थापित यह फोरम एक सदस्य-संचालित पहल है जो एशियाई क्षेत्र के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, संघर्षों और चुनौतियों से निपटता है। सीआईसीए टीटीएफ का उद्देश्य आपसी विश्वास को बढ़ाना है। हाल के वर्षों में, सीआईसीए टीटीएफ ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जैसे नए विषयों पर सीआईसीए परिप्रेक्ष्य और आम सहमति को आकार देने में भूमिका निभाई है।

सीआईसीए के सदस्य देशों ने टीटीएफ को सूचना और विश्लेषणात्मक सलाहकार निकाय में बदलने का फैसला किया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव द्वारा प्रस्तावित यह पहल विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करके और सदस्य देशों के विद्वान समूहों और शोध संस्थानों के बीच संचार को बढ़ावा देकर सीआईसीए को मजबूत बनाती है। सीआईसीए टीटीएफ को सीआईसीए के एक संगठन के रूप में विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा जाता है।

सीआईसीए थिंक टैंक फोरम (टीटीएफ) सीआईसीए सदस्य देशों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

सीआईसीए के सदस्य देशों ने टीटीएफ को सूचना और विश्लेषणात्मक सलाहकार निकाय में बदलने का फैसला किया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव द्वारा प्रस्तावित यह पहल विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करके और सदस्य देशों के थिंक टैंक और शोध संस्थानों के बीच संचार को बढ़ावा देकर सीआईसीए को मजबूत बनाती है।

सीआईसीए पहल की मुख्य उपलब्धियाँ

सीआईसीए एशियाई देशों के बीच राजनीतिक संवाद और विश्वास निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करने के अपने मुख्य उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है। सभी स्तरों पर सीआईसीए के शासी निकाय अपनी बैठकें आयोजित करते हैं, जिससे सदस्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साझा दृष्टिकोण और एक आम रवैया विकसित करने में सक्षम होते हैं। इसने अपने शिखर सम्मेलन और मंत्रिस्तरीय बैठकें, एसओसी और एसडब्ल्यूजी की बैठकें आदि सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सीआईसीए ने विभिन्न पहलों और गतिविधियों के माध्यम से एशिया में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सदस्य देश पांच प्रमुख आयामों में सीबीएम को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं, जो सीआईसीए की व्यावहारिक गतिविधि का मुख्य क्षेत्र है। सीबीएम से परे, इसने सदस्य देशों द्वारा सफल पहलों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है,

सीआईसीए एशियाई देशों के बीच राजनीतिक संवाद और विश्वास निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करने के अपने मुख्य उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, सीआईसीए ने विभिन्न पहलों और गतिविधियों के माध्यम से एशिया में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

विशेष रूप से इसने विशिष्ट क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीआईसीए युवा परिषद, थिंक टैंक फोरम और बिजनेस फोरम की स्थापना की है। पिछले 30 वर्षों में, सीआईसीए की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ शामिल हैं:

संवाद सुविधा: सीआईसीए एकमात्र अखिल एशियाई संगठन है जो प्रशांत से भूमध्य सागर तक तथा यूराल से हिंद महासागर तक विशाल क्षेत्र को कवर करता है।[20] सीआईसीए एशिया के सदस्य देशों तथा प्रतिभागियों और पर्यवेक्षकों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां वे विभिन्न राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर नियमित और रचनात्मक बातचीत कर सकते हैं, जिससे पूरे महाद्वीप और उसके बाहर आपसी समझ और विश्वास में वृद्धि होती है।

सीबीएम का विकास: सीआईसीए ने सीबीएम का एक व्यापक ढांचा विकसित किया है, जिसमें 2002 में अल्माटी अधिनियम को अपनाना शामिल है, जो संघर्ष की रोकथाम और समाधान के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, साथ ही आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्य समूहों की स्थापना भी करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीआईसीए का सीबीएम कार्यान्वयन सदस्य देशों की स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर करता है, जो स्वामित्व और साझा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना: संवाद और सहयोग पर जोर देकर, सीआईसीए सदस्य देशों के बीच विश्वास बनाने और मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक मंच तैयार करता है। इससे संघर्षों के भड़कने की संभावना कम हो जाती है और क्षेत्रीय तनावों के प्रबंधन के लिए अधिक

सदस्य देश पांच प्रमुख आयामों में सीबीएम को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं, जो सीआईसीए की व्यावहारिक गतिविधि का मुख्य क्षेत्र है ।

सीआईसीए एकमात्र अखिल एशियाई संगठन है जो प्रशांत से भूमध्य सागर तक और यूराल से हिंद महासागर तक के विशाल क्षेत्र को कवर करता है।

सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है। अंततः, यह एक अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर एशिया में योगदान देता है।

सशक्त ट्रैक II प्रक्रिया: सीआईसीए थिंक टैंक फोरम मंच सीआईसीए देशों के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के बीच विचारों और चर्चाओं के अप्रतिबंधित आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में सफल रहा है। यह मंच अपनी-अपनी सरकारों के लिए नीति निर्माण की वकालत करने में एक व्यापक और वैज्ञानिक विश्लेषण दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

सीआईसीए के लिए चुनौतियां

अपनी उपलब्धियों के बावजूद, सीआईसीए को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो एशिया में सुरक्षा गतिशीलता को संबोधित करने में इसकी प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं। सीआईसीए सदस्यों के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हित अलग-अलग हैं, जिसके कारण प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों में मतभेद हैं, जो पहल के भीतर आम सहमति बनाने और सहयोग में बाधा डाल सकते हैं।

एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसका सीआईसीए प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। एशिया के प्रमुख देशों और अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में अपना दृष्टिकोण है। एशिया में, कुछ बाहरी खिलाड़ी भी क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में सक्रिय हैं, हालांकि वे इस पहल के सदस्य नहीं हैं। एशिया में बढ़ती भू- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें प्रमुख शक्तियाँ व्यक्तिगत सुरक्षा दृष्टिकोण अपना रही हैं, एकीकृत क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के सीआईसीए के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं।

यह कहा जा सकता है कि चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सीआईसीए सहयोग और प्रगति के लिए साझा आधार खोजने के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों के लिए आगे बढ़ने का यही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है।

क्षेत्रीय स्तर पर, एशिया/ यूरेशिया में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख एकतरफा और बहुपक्षीय पहल शुरू की गई हैं, जिनमें सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और शंघाई सहयोग संगठन शामिल हैं। सीआईसीए को सावधानी से आगे बढ़ने और अन्य पहलों को साथ लेकर चलने की जरूरत है।

सीआईसीए प्रशासनिक तंत्र स्तर पर भी चुनौती बनी हुई है। सीआईसीए का स्थायी सचिवालय सीमित संसाधनों और क्षमता के साथ काम करता है, जो कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उभरती चुनौतियों का तुरंत जवाब देने की इसकी क्षमता को बाधित करता है। अंत में, सीआईसीए का एक प्रमुख क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में चल रहा परिवर्तन सीआईसीए के प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी कर सकता है। चूंकि, सीआईसीए का ध्यान इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास पर होने के बजाय आंतरिक हो सकता है।

यह कहा जा सकता है कि चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सीआईसीए सहयोग और प्रगति के लिए साझा आधार खोजने के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों के लिए आगे बढ़ने का यही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है।

खंड II

एशिया में सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग

आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों का मुकाबला करने की चुनौतियों के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

बहुध्रुवीयता का उदय और विश्व मंच पर एशिया का बढ़ता महत्व वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एकतरफा प्रभुत्व का बीता हुआ युग समाप्त हो चुका है। आज, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी की आवश्यकता है। साथ ही, एशिया में एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, जो दर्शाता है कि एशियाई महाद्वीप को विश्व व्यवस्था में एक नई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एशिया तेजी से 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए मुख्य वैश्विक मंच बन रहा है, आर्थिक क्षमता और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव दोनों के संदर्भ में। अपने विशाल मानव, औद्योगिक और प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत के साथ, एशिया एक बार फिर वैश्विक प्रक्रियाओं का केंद्र बन रहा है।

सीआईसीए एशिया और दुनिया के अन्य भागों में शांति और सुरक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध को मान्यता देता है।[21] दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले महाद्वीप के रूप में, एशिया में वैश्विक प्रगति के लिए एक प्रेरक शक्ति बनने की अपार क्षमता है।

आज, एशिया अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें पारंपरिक खतरों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार जैसे उभरते मुद्दे भी शामिल हैं।

एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ी भौगोलिक पहुंच और व्यापक एजेंडे वाले अंतर-सरकारी मंच के रूप में सीआईसीए सुरक्षा, स्थिरता, शांति, सहयोग और विकास के हित में सभी एशियाई देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और ज्ञान को समेकित करने और वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका पूर्ण समावेश सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है।

हालांकि, इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। एशिया को राष्ट्रों का एक मजबूत स्वतंत्र राष्ट्रमंडल बनने की आवश्यकता है, जो समान लक्ष्यों का पीछा करे, अपनी आंतरिक समस्याओं को खुद ही सुलझाए और वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान दे। ऐसा करने के लिए, एशिया को पुराने अवशेषों को पीछे छोड़ना होगा, औपनिवेशिक अतीत से बची हुई विभाजन रेखाओं और कृत्रिम विखंडन को दूर करना होगा, और एक एकल और अविभाज्य सुरक्षा स्थान बनाने के लिए एकजुट होना होगा, जो बहुपक्षीय सहयोग संस्थानों की एक विश्वसनीय और प्रभावी प्रणाली द्वारा समर्थित हो, जिनमें से एक सीआईसीए है।

साथ ही, एशिया में, बाकी दुनिया की तरह, शांति और सुरक्षा के अभी भी अनसुलझे अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों की पृष्ठभूमि में, नई चुनौतियों और खतरों में वृद्धि हुई है जो आधुनिक परिस्थितियों और नई प्रौद्योगिकियों के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध प्रवास और अन्य मुद्दों के अंतरराष्ट्रीय खतरों का मुकाबला करने की चुनौतियों के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आज, एशिया कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पारंपरिक खतरों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने जैसे उभरते मुद्दे शामिल हैं।

यह उभरता हुआ सुरक्षा परिदृश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और मानवीय सुरक्षा के परस्पर संबंध को पहचानता है। सुरक्षा को अब व्यापक अर्थों में माना जाता है क्योंकि खतरे पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों को मिलाते हैं। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता अब व्यापक सुरक्षा की अवधारणा का हिस्सा हैं। पारंपरिक और गैर-पारंपरिक अवधारणाओं में सुरक्षा और विकास, सामाजिक सुरक्षा, मुक्ति, मुक्ति और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी इसकी नई अवधारणा के बीच एक ओवरलैप है। यह एक नया चरण है जहाँ राज्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा सामाजिक और मानवीय सुरक्षा के साथ मिलती है।

दूसरी ओर, जबकि मजबूत सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं, उन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह कई वैश्विक सुरक्षा संस्थानों और तंत्रों को सामान्य रूप से काम करने से प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए, कोविड-19 परिदृश्य के दौरान और उसके बाद लगाए गए प्रतिबंध। इसलिए, सुरक्षा और विकास के लिए नई चुनौतियों के जवाब में एशियाई राज्यों की व्यावहारिक सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ी भौगोलिक पहुंच और व्यापक एजेंडे वाला अंतर- सरकारी मंच होने के नाते सीआईसीए सुरक्षा, स्थिरता, शांति, सहयोग और विकास के हित में सभी एशियाई देशों की सामूहिक दृष्टि और विवेक को मजबूत करने और वैश्विक सुरक्षा ढांचे और अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका पूर्ण

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद ने सीआईसीए क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में गंभीर चुनौती पेश की है। सीआईसीए के कई सदस्य देश लंबे समय से आतंकवाद के खतरे से प्रभावित हैं और इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

समावेश सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। एशिया में सुरक्षा के संबंध में भविष्य के लिए रणनीतिक दृष्टि तैयार करना महत्वपूर्ण है।

सीआईसीए को एशिया में साझा सुरक्षा अवधारणाओं पर गंभीर प्रयास और योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि पूरे क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना तैयार करके साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सके। आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, मानवीय सहयोग को सदस्य देशों द्वारा सामूहिक और एकीकृत प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए।

एशिया में असुरक्षा

हाल के वर्षों में, एशियाई देश अंतर- राज्यीय संघर्षों के गवाह रहे हैं, जिसमें सीआईसीए सदस्य भी शामिल हैं। महाद्वीप में कई अनसुलझे विवाद हैं, जैसे कि इजरायल- फिलिस्तीन, दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जबकि कोविड महामारी ने एक गंभीर चुनौती पैदा की है और पूरे महाद्वीप में, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में कमजोरियों को उजागर किया है।

सीआईसीए ने अपने प्रारंभिक वर्षों में आतंकवाद से उत्पन्न खतरों को पहचाना और 2002 में प्रथम शिखर सम्मेलन में 'आतंकवाद के उन्मूलन और सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर सीआईसीए घोषणापत्र' को अपनाया गया।

हालांकि सीआईसीए मानता है कि 'आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई व्यापक, सुसंगत होनी चाहिए और दोहरे मानकों से बचना चाहिए', सीआईसीए क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की ओर से असमान प्रतिक्रियाएँ रही हैं। इससे क्षेत्र में सहयोगात्मक सुरक्षा वातावरण बनाने में समस्या पैदा होती है।

इसके अलावा, बाहरी खिलाड़ियों ने भी एशिया की स्थिरता में अपनी हिस्सेदारी विकसित की है और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एशिया के देशों और लोगों के एकीकरण और मुक्ति के मुद्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एशियाई सुरक्षा पर आम सहमति बनाना एशियाई देशों के बीच एक बड़ी चुनौती है। एशिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो सभी देशों को एक बाध्यकारी ढांचे में एकजुट करता हो। इस संदर्भ में सीआईसीए एशियाई देशों के लिए सुरक्षा वार्ता आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

आतंकवाद

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद ने सीआईसीए क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में गंभीर चुनौती पेश की है। सीआईसीए के कई सदस्य देश लंबे समय से आतंकवाद के खतरे से प्रभावित हैं और इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय देशों के बीच आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण में भिन्नता है। सीआईसीए के देशों को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने सहित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

सीआईसीए ने अपने शुरुआती वर्षों में आतंकवाद से उत्पन्न खतरों को पहचाना और 2002 में पहले शिखर सम्मेलन में 'आतंकवाद को खत्म करने और सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर सीआईसीए घोषणापत्र' को अपनाया।

इसमें आतंकवाद से लड़ने और इस चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' होने की बात कही गई।[22] घोषणापत्र में आतंकवाद को समाप्त करना सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं का साझा लक्ष्य माना गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवाद को धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता। सीआईसीए आतंकवाद को उचित ठहराने वाली विचारधाराओं का मुकाबला करके इसे रोकने की आवश्यकता पर जोर देता है।[23]

हालांकि सीआईसीए मानता है कि 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में व्यापक, सुसंगत होनी चाहिए और दोहरे मानकों से बचना चाहिए',[24] सीआईसीए क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की ओर से असमान प्रतिक्रियाएँ रही हैं। इससे क्षेत्र में सहयोगात्मक सुरक्षा वातावरण बनाने में समस्याएँ पैदा होती हैं। आतंकवाद और उग्रवाद को किसी भी तरह के वित्तीय, भौतिक या नैतिक समर्थन से दूर रखने के लिए सीआईसीए मंच से प्रभाव डालने की आवश्यकता है।

सीआईसीए ने अलगाववाद को राष्ट्रों की सुरक्षा और स्थिरता, संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए मुख्य खतरों और चुनौतियों में से एक के रूप में पहचाना है। यह रेखांकित करता है कि सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देश के क्षेत्र में किसी भी अलगाववादी आंदोलन और संस्थाओं का समर्थन नहीं करेंगे। सीआईसीए चार्टर में उल्लेख किया गया है कि 'सदस्य-देश किसी अन्य सदस्य देश के क्षेत्र में किसी भी अलगाववादी आंदोलन और संस्थाओं का समर्थन नहीं करेगा, और यदि ऐसा उभरता है, तो उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक और अन्य प्रकार के संबंध स्थापित नहीं करेगा, सदस्य-देश के क्षेत्रों और संचार को उपर्युक्त आंदोलनों और संस्थाओं द्वारा उपयोग नहीं करने देगा और उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान नहीं करेगा।'[25]

अस्ताना में 2022 में आयोजित सीआईसीए शिखर सम्मेलन की छठी बैठक में 'संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के कार्यान्वयन पर सीआईसीए कार्य योजना' को अपनाया गया'।[26] यह उल्लेख करते हुए कि वह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी पहलों के लिए प्रयासों के समन्वय में अपनी भूमिका के प्रति सजग है, कार्य योजना में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए चार स्तंभों का उल्लेख किया गया है:

स्तंभ I: आतंकवाद के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियों से निपटने के उपाय

स्तंभ II: आतंकवाद को रोकना और उसका मुकाबला करना

स्तंभ III: आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए राज्यों की क्षमता का निर्माण करने के उपाय

स्तंभ IV: सभी के लिए मानवाधिकारों के सम्मान और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मूल आधार के रूप में कानून के शासन को सुनिश्चित करने के उपाय

कार्ययोजना में आतंकवाद के किसी भी प्रकार के औचित्य, महिमामंडन या क्षमा याचना की निंदा और निषेध करना, हथियारों और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी और धन शोधन सहित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना, जो आतंकवाद के वित्तपोषण से निकटता से जुड़े हैं, कट्टरपंथ को रोकना, प्रासंगिक सूचना साझाकरण को बढ़ाना, विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने से रोकना और राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों की क्षमता को मजबूत करना शामिल है।

हाल ही में, ताशकंद ने 14 मई 2024 को वापस लौटे लोगों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण विषय पर मध्य एशिया क्षेत्रीय विशेषज्ञ परिषद की उद्घाटन बैठक की मेजबानी की।[27]

भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को अपनाने का प्रस्ताव भी रखा था। सीसीआईटी एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित पनाहगाह देने से इनकार करना बाध्यकारी बनाता है।

परिषद का उद्देश्य क्षेत्र के देशों में सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करना है, जो आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में समग्र सरकार के दृष्टिकोण के आवश्यक अंग हैं। बैठक संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय और उज्बेकिस्तान सरकार के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इसने मध्य एशियाई देशों के लिए सीरिया और इराक सहित संघर्ष क्षेत्रों से नागरिकों के प्रत्यावर्तन के संबंध में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। पुनः एकीकरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक, समग्र सरकार दृष्टिकोण को लागू करने के इर्द-गिर्द चर्चाएँ हुईं। समग्र समग्र समाज दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया।[28] यह बताया गया कि मई 2024 तक, मध्य एशियाई राज्यों द्वारा आयोजित मानवीय अभियानों के माध्यम से 2,100 से अधिक लोग इस क्षेत्र में लौट आए हैं।

सीआईसीए महासचिव कैरात सरयबे ने भी क्षेत्रीय विशेषज्ञ परिषद की बैठक को संबोधित किया और कहा कि मध्य एशिया के सीआईसीए सदस्यों- कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान- ने अपने नागरिकों, मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं की एक बड़ी संख्या को वापस लाने और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में अपना 'जिम्मेदार दृष्टिकोण' दिखाया है।

उन्होंने इस विषय पर सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्र के देशों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रयासों को मजबूत करने का भी आह्वान किया।[29]

भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को अपनाने का प्रस्ताव भी रखा है। सीसीआईटी (CCIT) एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित पनाहगाह देने से इनकार करना बाध्यकारी बनाता है। हस्ताक्षरकर्ताओं को अपने उद्देश्यों की परवाह किए बिना सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की भी आवश्यकता है। सीआईसीए (CICA) देश सम्मेलन को जल्द से जल्द अपनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

अफगानिस्तान

अफ़गानिस्तान दशकों से उथल-पुथल की स्थिति में है, जिसका असर एशिया और यूरेशिया में सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर पड़ रहा है। अगस्त 2021 में एक त्वरित घटनाक्रम में, तालिबान के हाथों काबुल की सत्ता आई। तुर्कमेनिस्तान, जो एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है, को छोड़कर, अफ़गानिस्तान के सभी पड़ोसी देश सीआईसीए के सदस्य हैं। सीआईसीए पहल में अफ़गानिस्तान में स्थिति को स्थिर करने में योगदान देने के लिए एक प्रभावी मंच बनने की क्षमता है। सीआईसीए का मानना है कि आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और अवैध ड्रग्स और इसकी तस्करी अफ़गानिस्तान, क्षेत्र और उससे आगे की सुरक्षा और स्थिरता के लिए ख़तरा है। सीआईसीए अफ़गानिस्तान के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता रहा है ताकि देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक स्थिर और समृद्ध सदस्य के रूप में पुनर्जीवित करने में मदद मिल सके।[30] मंच इस बात पर जोर देता है कि अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए, जिसका नेतृत्व अफगानी करें और जिसका स्वामित्व अफगानी ही हो। सीआईसीए देशों को अफगानिस्तान में नई सुरक्षा स्थिति और पूरे क्षेत्र पर इसके प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

अफगानिस्तान में स्थिरता तभी आ सकती है जब देश के सभी घरेलू साझेदारों में स्थिरता की इच्छा हो। सीआईसीए देश अफगानिस्तान पर केंद्रित क्षेत्रीय सुरक्षा के निर्माण में योगदान देकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान यूरेशियन क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय संपर्क विकसित करने में महत्वपूर्ण होगा।

महामारी

कोविड- 19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा किस तरह जलवायु सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे व्यापक आधार क्षेत्रों को शामिल करती है। महामारी के प्रकोप के मामले में, महामारी पर तेजी से नियंत्रण करने और देशों के बीच आपसी विश्वास और भरोसा बनाने के लिए वैक्सीन कूटनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। महामारी ने अंतरराष्ट्रीय समाज की कमजोरियों और विभिन्न स्तरों पर कनेक्टिविटी को उजागर किया। यह स्पष्ट था कि राष्ट्र जानबूझकर जैविक खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। महामारी ने आर्थिक विकास, लोगों के जीवन स्तर, वित्तीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को प्रभावित किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। फिर भी, दूसरी ओर, कोविड-19 महामारी ने प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया है और विज्ञान ने एक शानदार सफलता देखी है, जो कई सीआईसीए देशों द्वारा टीकों के विकास की गति से स्पष्ट है।

सीआईसीए प्रक्रिया को विकसित करने में साझा रुचि ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए व्यापार, आर्थिक और पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाने की नई संभावनाएं खोली हैं।

सीआईसीए महामारी विज्ञान सुरक्षा में एक साझा नीति ढांचा विकसित करने और परामर्श, आपसी मदद, जोखिम सूचना साझाकरण, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में सुधार के लिए तंत्र और संरचनाएँ तैयार करने के लिए काम कर सकता है। सीआईसीए एक प्रभावी संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी स्थापित कर सकता है। 2021 में फोरम ने सीआईसीए विश्वास निर्माण उपायों की सूची को अपडेट किया और एक नया प्राथमिकता क्षेत्र "महामारी विज्ञान सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स" शामिल किया, जो महामारी विज्ञान चरित्र की नई चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने में सदस्य राज्यों की बातचीत की भविष्यवाणी करता है। अपने सीबीएम में महामारी विज्ञान को शामिल करके, सीआईसीए सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार करता है। इसमें बीमारी के प्रकोप के बारे में जानकारी साझा करना, प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना और संयुक्त तैयारी योजनाएँ विकसित करना शामिल हो सकता है।

सीआईसीए क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं कनेक्टिविटी

सीआईसीए क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक सहयोग और एकीकरण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सीआईसीए प्रक्रिया को विकसित करने में साझा रुचि ने सतत विकास को प्राप्त करने के लिए व्यापार, आर्थिक और पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाने की नई संभावनाओं को खोल दिया है। सीआईसीए के लक्ष्यों में से एक सतत कनेक्टिविटी है, एक प्रस्ताव जिसे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 2022 में सीआईसीए के अंतिम शिखर सम्मेलन में रखा था। कजाकिस्तान की सीआईसीए अध्यक्षता ने सतत कनेक्टिविटी पर सीआईसीए परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। कनेक्टिविटी में सिर्फ़ परिवहन ही नहीं, बल्कि संस्कृति, व्यापार और डिजिटलीकरण का सामंजस्य भी शामिल है। इसलिए, सभी कनेक्टिविटी पहलों का समन्वय करना और यह निर्धारित करना कि सीआईसीए उनमें कैसे योगदान दे सकता है, एक लक्ष्य होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और एशिया और यूरोप के बीच एक अद्‌वितीय संपर्क मार्ग है।

एशियाई महाद्‌वीप को एक सुसंगत आर्थिक निकाय में जोड़ना एक तत्काल आवश्यकता बन गई है। पारगमन और परिवहन क्षमताओं का विकास, आयात और निर्यात के अवसर, पूंजी, माल, सेवाओं और श्रम बाजारों तक पहुंच, नई वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताएं, और विचारों और लोगों की मुक्त आवाजाही - इन सभी के लिए महाद्‌वीप की आर्थिक, वित्तीय और व्यापार प्रणालियों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रभावी साधनों की आवश्यकता है।

सीआईसीए क्षेत्रीय संपर्क, विशेष रूप से एकीकृत और प्रतिस्पर्धी परिवहन और रसद प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर देता है, जो सदस्यों के बीच व्यापार के अवसरों के अधिक कुशल उपयोग को प्राप्त करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन सहयोग को गति देने में मदद करेगा जो सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करेगा। फोरम का मानना है कि परिवहन और दूरसंचार नेटवर्क के साथ-साथ तेल और गैस पाइपलाइनों का निर्माण और विकास निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में सदस्यों के बीच व्यापक सहयोग को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था एक आधुनिक वास्तविकता है और सीआईसीए में कार्यों का समन्वय करने तथा सहयोग के विशिष्ट उपाय विकसित करने की आवश्यकता है।

सीआईसीए के कई सदस्य विभिन्न कनेक्टिविटी पहलों पर काम कर रहे हैं। कुछ सीआईसीए सदस्य भी भूमि से घिरे हुए हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क तक सीधी पहुंच नहीं है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान क्षेत्र के एकीकरण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अजरबैजान और आर्मेनिया विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, जिसमें परिवहन गलियारे खोलने की संभावना तलाशना भी शामिल है, जिससे शांति और अधिक क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और एशिया और यूरोप के बीच एक अनूठा संपर्क मार्ग है। भारत आईएनएसटीसी, मध्य एशिया को जोड़ने वाले चाबहार बंदरगाह और प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) सहित कई संपर्क परियोजनाओं के महत्व पर जोर देता है, साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से सतत और लचीला अंतर-क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क सुनिश्चित करता है।

डिज़िटल अर्थव्यवस्था में सहयोग

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ने मानव जाति की अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण को बहुत बढ़ावा दिया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह दुनिया की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था एक आधुनिक वास्तविकता है और सीआईसीए में सहयोग के लिए कार्यों का समन्वय और विशिष्ट उपाय विकसित करने की आवश्यकता है।

यह एक बहुत ही जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है, हालांकि, सीआईसीए क्षेत्र में, भारत सहित, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास देखा जा सकता है। भारत, रूस और चीन सहित सदस्यों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर अकादमिक समुदाय में आम सहमति बनाने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए।[31] सीआईसीए विकासशील देशों के लिए,

डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक परिवर्तन में लाभकारी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग पारंपरिक अर्थव्यवस्था/उद्योग को बढ़ावा देने और उन्नत करने के लिए भी किया जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। नवाचार और रोज़गार के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोज़गार का बहुत ज़्यादा दबाव है।

डेटा की सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता भी वैश्विक शासन में मुद्दे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। वर्तमान में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई क्षेत्रीय और वैश्विक शासन नहीं है। डेटा के स्वामित्व को परिभाषित करने की आवश्यकता है, और हम सुरक्षित सीमा पार डेटा प्रवाह को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी संभावना है कि विकसित देश विकासशील देशों के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, जिससे डिजिटल परिसंपत्तियों और डेटा की संप्रभुता के मुद्दे उठते हैं।

संक्रमण की प्रक्रिया में, कुछ विकसित देश विकासशील देशों के विकास में तकनीकी अवरोध पैदा करने के उपाय कर रहे हैं ताकि वे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और उन्हें विश्व की आर्थिक वृद्धि की गति को पकड़ने से रोक सकें। पहले, यह डिजिटल विभाजन था, अब हम डिजिटल टकराव का सामना कर रहे हैं। सीआईसीए के सदस्य देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें डिजिटल आर्थिक बुनियादी ढाँचा और प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप और एशिया के विकसित देशों में यूट्यूब (YouTube) और गूगल (Google) जैसे अधिक लाभदायक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं।

सीआईसीए डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल प्रतिभाओं के प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है। सीआईसीए डिजिटल आर्थिक नीतियों और कानून में सदस्य देशों के अंतरराष्ट्रीय समन्वय को भी बेहतर बना सकता है।

सीआईसीए एशिया और दुनिया में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ-साथ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों का भी घर है। सीआईसीए इस बात पर जोर देता रहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच संवाद और सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

वर्तमान में, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, सरकारों को भी एक सक्षम वातावरण तैयार करना चाहिए और डिजिटल व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। न केवल कंपनियों बल्कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में ध्यान के दायरे में लाया जा सकता है क्योंकि कई व्यक्तियों में असाधारण प्रतिभा और वैज्ञानिक क्षमताएँ होती हैं, जिन्हें अपने रचनात्मक विचारों को लागू करने का अवसर नहीं मिल पाता है।

13 अक्टूबर 2022 को अस्ताना में आयोजित सीआईसीए शिखर सम्मेलन की छठी बैठक में 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर सीआईसीए नेताओं का वक्तव्य' अपनाया गया।[32] यह पुष्टि करता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोणों की समानता है और घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आईसीटी का विकास और उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह वैश्विक सूचना क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने में विकासशील सीआईसीए सदस्य देशों की सहायता करने की आवश्यकता को भी दोहराता है।

ऊर्जा सहयोग

एशियाई महाद्वीप में तेल, गैस, यूरेनियम सहित विशाल ऊर्जा संसाधन हैं, साथ ही अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए टिकाऊ तरीके से अपार संभावनाएं हैं।

सीआईसीए की अपनी भूमिका है, जैसा कि सीबीएम में उल्लेखित कार्यों में कहा गया है, एशिया के देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत को और बढ़ाना, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, तथा आम लोगों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को साझा करना और लागू करना जैसे सामान्य विषयों के क्षेत्रों में।

सीआईसीए एशिया और दुनिया में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ-साथ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों का घर है। सीआईसीए इस बात पर जोर देता रहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच संवाद और सहयोग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह रेखांकित करता है कि ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सतत विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। सीआईसीए ने संबंधित पक्षों को ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने और ऊर्जा मुद्दों पर संवाद और सहयोग को और बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है।[33]

सीआईसीए का रुख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को 'साझा किन्तु विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत के आधार पर, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग और विकास के विविध रूपों पर आधारित ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए तथा सुदृढ़ करना चाहिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बनाए रखना है।

सीआईसीए सीबीएम के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत ऊर्जा सुरक्षा आयाम में सह-समन्वयक है, जबकि कोरिया इसका समन्वयक राष्ट्र है।

पर्यावरणीय सहयोग

हाल के वर्षों में एशिया ने कई पर्यावरणीय मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिनमें बाढ़, तूफान, रेगिस्तानीकरण, गर्म लहर, जंगल की आग और भूकंप शामिल हैं।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे महाद्वीप में सतत विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन एशिया के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। इसलिए, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सीआईसीए सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा भी है जिसका समाधान कोई भी देश अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता है।

छठे सीआईसीए शिखर सम्मेलन 2022 में, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 2024 में अस्ताना में पर्यावरण मुद्दों पर सीआईसीए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने की पहल का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में एशिया में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के मुद्दों से निपटने के लिए सीआईसीए के दृष्टिकोण का संकेत दिया गया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन में एक नई सलाहकार संस्था सीआईसीए पर्यावरण परिषद की स्थापना का भी सुझाव दिया जाएगा।[34]

सीआईसीए की अपनी भूमिका है, जैसा कि सीबीएम में उल्लेखित कार्यों में कहा गया है, एशिया के देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत को और बढ़ाना, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, तथा आम लोगों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को साझा करना और लागू करना जैसे सामान्य विषयों के क्षेत्रों में।

भारत सीआईसीए को बहुध्रुवीय एशिया में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। अपनी स्थापना के बाद से, भारत सीआईसीए की यात्रा का एक अभिन्न अंग रहा है। एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत एशिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के सीआईसीए के दृष्टिकोण को महत्व देता है।

खंड III

भारत- सीआईसीए सहभागिता

सीआईसीए के साथ भारत की सहभागिता

भारत सीआईसीए को बहुध्रुवीय एशिया में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। अपनी स्थापना के बाद से ही भारत सीआईसीए का अभिन्न अंग रहा है। एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत एशिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के सीआईसीए के दृष्टिकोण को महत्व देता है। यह भारत के मूल दर्शन वसुधैव कुयुंबकम के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। गांधीवादी विचारों से प्रेरित, भारत सरकार का "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" का दृष्टिकोण आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और 'सभी लोगों की भलाई' पर सीआईसीए के जोर के साथ संरेखित है।

परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने के अलावा, परिवहन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्टार्टअप, आर्थिक और व्यापार के दृष्टिकोण से भारत के लिए सीआईसीए महत्वपूर्ण है। भारत सीआईसीए की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन और उनमें भाग लेकर इस पहल को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि सीआईसीए का दृष्टिकोण एशिया की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। सीआईसीए में, भारत ने एशियाई विविधता को भी मान्यता दी और इसके परिणामस्वरूप आम सहमति और स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर धीरे-धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

भारत एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों के साथ सहयोग विकसित कर रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया भी शामिल है, जहाँ बहरीन, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, फिलिस्तीन, तजाकिस्तान और यूएई सीआईसीए के सदस्य हैं।

हाल के वर्षों में सीआईसीए का काफी विस्तार हुआ है। सऊदी अरब को हाल ही में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिम एशियाई क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने पर बहुत ध्यान दिया है, जो न केवल ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई सीआईसीए देशों से बड़ी संख्या में अतिथि श्रमिकों की मेजबानी भी करता है। सीआईसीए इन क्षेत्रों में सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा विकसित कर सकता है, जो कुशल और गैर-कुशल दोनों प्रकार के कार्यबलों के लिए फायदेमंद होगा।

भारत और सीआईसीए के शिखर सम्मेलन

एशिया में सहयोगात्मक वातावरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने के लिए, पहला शिखर सम्मेलन 2002 में अल्माटी में आयोजित किया गया था। यह एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में एक उथल-पुथल भरा दौर था, और सुरक्षा और स्थिरता प्रमुख चिंताएँ थीं। भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने एशिया में एकीकरण के कारकों पर प्रकाश डाला, और कहा: "वर्तमान एशिया के सभी राष्ट्र, किसी न किसी तरह से, इतिहास में एशिया में चली आ रही बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया के उत्पाद हैं। इसलिए, आज के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी प्रवृत्ति में, हमें अपने साझा अतीत को नहीं भूलना चाहिए या कम नहीं आंकना चाहिए।"[35] उन्होंने आतंकवाद को एक 'भयानक दुश्मन' करार दिया और कहा कि "एशियाई और वैश्विक सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस खतरे का एकजुट होकर, निर्णायक बनकर एवं तेज़ी से कैसे मुकाबला करते हैं।" अल्माटी शिखर सम्मेलन ने 'आतंकवाद को खत्म करने और सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने की घोषणा' को भी अपनाया था।'

शिखर सम्मेलन के अगले दिन अल्माटी में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि "इस सम्मेलन का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और मित्रता का संदेश फैलाना था ताकि एशिया के लोग घनिष्ठ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से गरीबी हटाने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वास्तव में, सीआईसीए प्रक्रिया में पिछले 10 वर्षों में हमारे अप्रतिबंधित सहयोग के पीछे भारत की मुख्य प्रेरणा यही थी।"[36]

भारत ने सीआईसीए प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मुरली देवड़ा ने 2006 में अल्माटी में दूसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि सीआईसीए 'एशिया में एक सहकारी और बहुलवादी सुरक्षा व्यवस्था' के विकास में योगदान दे सकता है, जो आपसी समझ, विश्वास और संप्रभु समानता पर आधारित है।[37] उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई वैश्विक, व्यापक और निरंतर होनी चाहिए, न कि चयनात्मक या भेदभावपूर्ण। उन्होंने आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने के प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया और इसके प्रति शून्य सहिष्णुता की बात भी कही।

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 8 जून 2010 को इस्तांबुल में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तीसरे सीआईसीए शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए घोषणापत्र में विश्व समुदाय, विशेष रूप से एशिया में, के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में पहल की भूमिका को मान्यता दी गई। सदस्य देशों ने सीआईसीए को संवाद के लिए एक मंच के रूप में विकसित करने और सहयोग को और बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने आतंकवाद की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए 'सबसे गंभीर खतरा' माना।

चौथा शिखर सम्मेलन 21 मई 2014 को शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था। यह भारत में संसदीय चुनावों (अप्रैल- मई 2014) के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। यह कहा गया कि संगठन सुरक्षा मुद्दों और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर बातचीत हेतु एशिया में अग्रणी मंचों की श्रेणी में शामिल हो गया है।'[38] यह उल्लेख किया गया कि आतंकवाद क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और आतंकवाद से निपटने के लिए सीआईसीए के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीआईसीए की प्राथमिकता व्यावहारिक, स्वैच्छिक और प्राप्त करने योग्य विश्वास निर्माण उपायों पर बनी रहनी चाहिए।

पांचवां सीआईसीए शिखर सम्मेलन 15 जून 2019 को दुशांबे, ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया, जिसका विषय था "एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध सीआईसीए क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण"। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि 21वीं सदी को एशियाई सदी के रूप में देखा जा रहा है और सीआईसीए निश्चित रूप से एशिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है।[39] भारत एशिया में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। मंत्री ने आतंकवाद को एशिया में सबसे गंभीर खतरा बताया और भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द अंतिम रूप देने के लिए समर्थन मांगा। ऊर्जा सुरक्षा की कमी को एक प्रमुख विकासात्मक चुनौती के रूप में स्वीकारा गया, जिसके लिए एक स्थिर ऊर्जा बाजार और ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच बेहतर संवाद की आवश्यकता है।

परिवहन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक एवं व्यापार के दृष्टिकोण से सीआईसीए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

विश्वास निर्माण उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है जो आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें ।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सीआईसीए एशियाई देशों के लिए एक 'संतुलित, खुले और समावेशी ढांचे' के रूप में विकसित होता रहेगा, ताकि वे बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने में परस्पर बातचीत और सहयोग कर सकें, तथा अधिक सुरक्षित और समृद्ध एशिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर सकें।

भारत लगातार सीआईसीए और इसकी पहलों का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री की विशेष दूत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 अक्टूबर 2022 को अस्ताना में छठे सीआईसीए शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में सीआईसीए ने सराहनीय प्रगति की है और एशिया के देशों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि बड़ा और विविधतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीआईसीए की प्रगति और भूमिका 'समावेशी, परामर्शदात्री और सहकारी बहुपक्षवाद के लिए भारत के समर्थन और वसुधैव कुटुंबकम के इसके मूल दर्शन के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि 'विश्व एक परिवार है।'

भारत एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली सीआईसीए गतिविधियों और पहलों, विशेष रूप से इसके विभिन्न सीबीएम, में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

भारत सीआईसीए को विविधतापूर्ण और बहुध्रुवीय एशिया में बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। सतत विकास के लिए भारत की पहलों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), और डिजिटल इंडिया का भी उल्लेख किया गया।[40]

मंत्री लेखी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती और सभी रूपों में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और महामारी की तरह आतंकवाद भी हम सभी को प्रभावित करता है। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य- सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाता है और सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। शिखर सम्मेलन को बताया गया कि पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत ने मौजूदा संकट में अफगानों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और कोविड-19 वैक्सीन की 500,000 खुराक की मानवीय सहायता प्रदान की है।

परिवहन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक तथा व्यापार के दृष्टिकोण से सीआईसीए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्वास निर्माण उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है जो आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यमों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एशिया की समस्याओं को देखते हुए, बहुपक्षीय प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रों को एकजुट करने के लिए, जैसा कि सीआईसीए प्रयास कर रहा है, इसमें शामिल देशों के समय, प्रयास और ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। भारत एशिया में शांति और स्थिरता के निर्माण में चरण-दर-चरण दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

सीआईसीए सीबीएम में भारत

भारत एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली सीआईसीए गतिविधियों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, खासकर इसके विभिन्न सीबीएम में। सीबीएम में भागीदारी स्वैच्छिक है और भारत की भागीदारी एशिया की अधिकांश आबादी तक सुरक्षा, ऊर्जा, संपर्क और सामाजिक विकास के लाभ पहुंचाने की उसकी प्रबल इच्छा को दर्शाती है। भारत ने सीबीएम समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह एक सीबीएम आयाम में समन्वयक और तीन आयामों में सह-समन्वयक के रूप में स्वेच्छा से काम कर रहा है। भारत आतंकवाद से लड़ने के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में समन्वय कर रहा है जबकि 'ऊर्जा सुरक्षा', 'सुरक्षित और प्रभावी परिवहन गलियारे विकसित करना' और 'मानव' क्षेत्रों में यह सह-समन्वयक है।[41]

सीबीएम के समन्वयक के रूप में भारत ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऊर्जा सुरक्षा सीबीएम के समन्वयक के रूप में 18 जून 2021 को संबंधित सीआईसीए सदस्य देशों के विषय विशेषज्ञों के लिए अक्षय ऊर्जा पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। परिवहन और अन्य उद्योगों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का विस्तार करते हुए बिजली क्षेत्र में नेटवर्क के एकीकरण और संतुलन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन और भंडारण जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस क्षेत्र का दायरा काफी बढ़ सकता है।[42]

भारत ने फरवरी 2022 में 'पारंपरिक चिकित्सा' वेबिनार आयोजित किया, जिसमें विभिन्न सीआईसीए देशों के लगभग 50 विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों को पेश करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुष प्रणाली की भूमिका को प्रदर्शित किया। ।

प्रतिभागियों ने कोविड- 19 के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव और आयुर्वेद तथा अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने सीआईसीए सदस्य देशों की पारंपरिक चिकित्सा के विकास के तरीकों और अवसरों पर भी चर्चा की।[43]

2-3 फरवरी, 2023 को भारत ने सीआईसीए ढांचे के तहत 'कट्टरपंथीवाद का मुकाबला' विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। इसमें प्रतिभागियों के बीच कट्टरपंथ और उग्रवाद; कट्टरपंथ का उदय और उसका वैश्विक प्रभाव; कट्टरपंथ के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग; कट्टरपंथ को खत्म करने के मॉडल; तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में कट्टरपंथ जैसे विषयों पर चर्चा की गई।[44]

25-26 मई 2023 को भारत ने सीआईसीए सीबीएम के ढांचे के तहत 'इंटरनेट के दुरुपयोग' पर एक वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। प्रतिभागियों ने संगठित अपराध में इंटरनेट के दुरुपयोग; वित्तीय अपराध के लिए एक उपकरण के रूप में मैलवेयर और रैनसमवेयर का उपयोग; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपराध की रोकथाम; अवैध व्यापार और आतंक में डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग; और भविष्य की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपराध और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैकिंग सहित विभिन्न विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की।[45]

भारत- सीआईसीए डिजिटल सहयोग

भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसने प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015, जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास करता है, उपलब्धियों का एक उदाहरण है, जो अन्य देशों के लिए रुचि और प्रासंगिक हो सकता है।

सीआईसीए भारत के लिए सुधारित बहुपक्षवाद का आह्वान करने का एक मंच भी रहा है, जो समकालीन भू- राजनीतिक वास्तविकताओं की सराहना को दर्शाता है।

भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है, जिसमें से 1.38 अरब लोगों को एक अद्वितीय 12 डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान पत्र (आधार) जारी किया गया है। 1.21 अरब मोबाइल फोन थे, जिनमें से लगभग आधे अरब स्मार्ट फोन थे। 750 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाएँ व्यक्तिगत दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के लिए डिजिटल लॉकर, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-साइन, ई-शॉपिंग, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, उमंग (नए युग के शासन के लिए संयुक्त मोबाइल एप्लिकेशन) हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की 1200 से अधिक सेवाएँ कई भाषाओं में उपलब्ध होंगी।

साइबर स्पेस बिना किसी सीमा के एक निर्बाध वैश्विक साझा क्षेत्र है। डिजिटल युग में सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है, खासकर हाल के वर्षों में। कोविड महामारी के बाद, घर से काम करने और डिजिटल तकनीक का महत्व बढ़ गया है, इसलिए साइबर स्पेस की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया भर में रैनसमवेयर हमलों में हाल ही में हुई वृद्धि ने इस खतरे के लिए वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता को फिर से उजागर किया है। राज्य और गैर- राज्य अभिनेताओं द्वारा साइबर हथियार के उपयोग के बारे में चर्चा हुई है।

इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन मुद्दों से निपटने के तरीके पर आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया है। जिनेवा कन्वेंशन से संकेत लेते हुए, नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे चिकित्सा, उपयोगिताओं, शिक्षा आदि पर साइबर हमलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

यह देखते हुए कि साइबर स्पेस कोई सीमा नहीं जानता, आगे का रास्ता यह है कि किसी भी भविष्य की प्रक्रिया में सभी सरकारों, हितधारकों जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, उपयोगकर्ता और नागरिक समाज को शामिल किया जाना चाहिए। साधन लचीले होने चाहिए और नए मुद्दों और चुनौतियों को समायोजित करने में सक्षम होने चाहिए।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था कठिन सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। बिना विश्वास निर्माण के डिजिटल क्षेत्र में अधिक सहयोग करना मुश्किल होगा। सीआईसीए को डिजिटल सुरक्षा में सहयोग विकसित करना चाहिए। भारत कहता रहा है कि एशिया आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए, ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सीआईसीए मंच से, भारत ने यह भी कहा है कि "अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र के रूप में भारत का दृष्टिकोण प्रगति और समृद्धि की साझा खोज पर आधारित है। इस दिशा में, भारत ने पारंपरिक रूप से सीआईसीए सहित एशिया में क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सहयोग बनाए रखा है"।[7][46]

सीआईसीए भारत के लिए सुधारित बहुपक्षवाद का आह्वान करने का एक मंच भी रहा है, जो समकालीन भू- राजनीतिक वास्तविकताओं की सराहना को दर्शाता है। भारत का मानना है कि बहुपक्षीय संस्थाओं को अपने सदस्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति खुला और स्वागत करने वाला होना चाहिए और नई आवाज़ों, विशेष रूप से एशिया से आने वाली आवाज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए ताकि पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की इसकी क्षमता में विश्वास और आत्मविश्वास पैदा किया जा सके। भारत एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को महत्व देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित है, जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान,

शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान और वैश्विक कॉमन्स तक सभी के लिए स्वतंत्र और खुली पहुँच पर आधारित है।[47]

भारत सरकार ने छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमई) को समर्थन देने के लिए जो प्रयास किए हैं, जिनमें उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी शामिल है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत सीआईसीए में आर्थिक और व्यापार सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सीआईसीए को बुनियादी विज्ञान में भारत की उत्कृष्टता से लाभ मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और आईटी, स्टार्टअप और नवाचार सीआईसीए देशों के लिए सहयोग बढ़ाने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं।

खंड IV

परिवर्तन और आगे की राह

सीआईसीए में एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, बशर्ते कि यह अपनी चुनौतियों का समाधान करे और अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाएं। भविष्य में ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सीआईसीए को एक संस्थागत तंत्र में बदलना, सदस्यता का विस्तार और विभिन्न अन्य साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल है।

सीआईसीए का एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय संगठन में रूपांतरण

सीआईसीए वर्तमान में सुरक्षा और विकास के मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर संवाद और बातचीत के लिए एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में कार्य करता है। इस पहल ने निश्चित रूप से अपनी स्थापना के बाद से एक महत्वपूर्ण विकासवादी प्रगति की है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में इसका परिवर्तन सीआईसीए के विकास की भावना में माना जाता है। सीआईसीए का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में परिवर्तन, कजाकिस्तान की सीआईसीए अध्यक्षता का एक रणनीतिक उद्देश्य है, जिसने परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। फोरम ने अगस्त 2021 में एक दस्तावेज 'सीआईसीए को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने के लिए वैचारिक दृष्टिकोण'[48] जारी किया है, जिसमें परिवर्तन पर चर्चा का प्रस्ताव है।

वह जिस प्रक्रिया को अपनाना चाहता है, वह क्रमिक, वृद्धिशील और आम सहमति पर आधारित सीआईसीए के एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन में परिवर्तन की संरचित, समावेशी और पारदर्शी बातचीत है।

> सीआईसीए एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि वह अपनी चुनौतियों का समाधान करे और अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करे।

वह जिस प्रक्रिया को अपनाना चाहता है, वह सीआईसीए को एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन में क्रमिक, वृद्धिशील और सर्वसम्मति-आधारित परिवर्तन के लिए संरचित, समावेशी और पारदर्शी बातचीत है।

एक दस्तावेज 'सीआईसीए परिवर्तन पर अस्ताना वचन' भी अपनाया गया है। हालाँकि सीआईसीए को एक पूर्ण क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने के लिए 2022 में अस्ताना वचन को अपनाया गया था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह अपनी सभी विशेषताओं, जैसे कि एक शासी निकाय, प्रशासनिक निकाय, इसका योगदान और वित्तीय समितियों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के लिए पहले से ही पर्याप्त परिपक्व है। सीआईसीए के पास पहले से ही एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थिति, भूमिका, कार्य, कार्यप्रणाली, संरचना और अन्य गुण हैं। परिवर्तन प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों जैसे सीआईसीए का प्रशासन, चार्टर आदि में एक साथ हो रही है।

सीआईसीए को पहले ही राजनीतिक संवाद के लिए एक प्रभावी बहुपक्षीय मंच के रूप में आकार दिया जा चुका है और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की तर्ज पर काम कर रहा है। प्रस्तावित परिवर्तन प्रक्रिया सीआईसीए के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बदलने या मंच की गतिविधियों के मूल सिद्धांतों, मुख्य रूप से निर्णय लेने के सर्वसम्मति सिद्धांत और विश्वास निर्माण उपायों में इसके सदस्य राज्यों की स्वैच्छिक भागीदारी को बदलने की कोशिश नहीं करती है।

शासी निकायों और उनके काम करने के तरीकों की मौजूदा संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन करने या परिवर्तन के शुरुआती चरण में नए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ों को अपनाने का भी प्रस्ताव नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि परिवर्तन को चरणबद्ध तरीके से किया जाए, जिसकी शुरुआत प्रक्रिया के शुभारंभ से हो और मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ा जाए, तथा सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और महत्वाकांक्षा के स्तर के आधार पर इसे उत्तरोत्तर रूप से अनुकूलित किया जाए।

परिवर्तन के संभावित लाभ

मंच को एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने से सदस्यों के बीच आपसी सहायता और व्यावहारिक सहयोग के अवसरों और साधनों का काफी विस्तार होगा, ताकि सदस्यों के लाभ के लिए ठोस और मूर्त गतिविधियों का संचालन करके आम चुनौतियों का समाधान किया जा सके। फिर भी, इस बात में स्पष्टता होनी चाहिए कि सीआईसीए किस तरह के मुद्दों से निपटने जा रहा है, क्योंकि इसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनना है। ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि की भी आवश्यकता है। इसलिए क्रमिक कार्यप्रणाली अपनाना एक बेहतर नीति होगी।

> मंच के एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन में रूपान्तरण से सदस्यों के बीच आपसी सहायता और व्यावहारिक सहयोग के अवसरों और साधनों का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार होगा, जिससे सदस्यों के लाभ के लिए ठोस और मूर्त गतिविधियों का संचालन करने सहित आम चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।

परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक पूर्ण विकसित अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में सीआईसीए, सीआईसीए सिद्धांतों और लक्ष्यों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और प्राप्ति के लिए एक अधिक प्रभावी उपकरण बनने की संभावना है। यह एशियाई महाद्वीप पर मजबूत संपर्क सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय समस्याओं के लिए संयुक्त समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने में सक्षम होगा। यह आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के अवसरों का विस्तार भी कर सकता है, साथ ही वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला में एशियाई राज्यों की भूमिका को एकजुट और मजबूत कर सकता है।

सीआईसीए को एक संगठन में बदलने के माध्यम से इसका नवीनीकरण सीआईसीए के भीतर संवाद को और सहयोग के एक नए स्तर पर क्रमिक संक्रमण को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रोत्साहन देगा। इसके अलावा, सीआईसीए प्रक्रिया, जो शुरू हुई थी उसे जारी रखते हुए और जिन लक्ष्यों के लिए इसे बनाया गया था, उनकी ओर बढ़ते हुए, एक मजबूत और अधिक स्थिर संस्थागत ढांचे के साथ लागू की जाएगी और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त साधनों से समृद्ध होगी।

सीआईसीए को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक पूर्ण विकसित अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदलने से पहले से ही सफल संवाद मंच को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक भूमिका मिलेगी, जिससे वैश्विक प्रक्रियाओं पर एशियाई राज्यों के प्रभाव को काफी मजबूती मिलेगी। अखिल एशियाई संगठन में एकजुट सीआईसीए सदस्य देशों को सामूहिक रूप से क्षेत्र के साझा हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का अवसर मिलेगा।

आर्थिक मुद्दों की व्यापक श्रृंखला, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियाँ, कोविड-19 महामारी जैसे महामारी संबंधी खतरे और इसके परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक गिरावट एशियाई देशों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता की आवश्यकता को दर्शाती है।

नए प्राथमिक फोकस क्षेत्र आईसीटी, आतंकवाद- रोधी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, तेजी से होने वाले बदलावों के अनुकूल होने की क्षमता विकसित करना हो सकते हैं।

इस बात पर भी चर्चा हुई है कि क्या यूरेशिया को सीआईसीए के भौगोलिक विस्तार में शामिल किया जाए; हालाँकि, इस समय आम तौर पर इस बात पर सहमति बनी है कि सीआईसीए को एशिया पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एशिया को विकसित हो रही वैश्विक व्यवस्था में अपना स्थान पहचानने की आवश्यकता है, और परिवर्तन का अर्थ है वैश्विक मामलों में एशिया की नई भूमिका को बढ़ावा देना।

वित्तपोषण: सीआईसीए के बजट में सुधार, जिसमें सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य बजटीय वित्तपोषण की स्थापना, सीआईसीए की सदस्यता के लिए उचित सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र के पैमाने पर आधारित मूल्यांकन योगदान का पैमाना पेश करना, बजट संरचना और बजट नियोजन प्रक्रिया में सुधार करना, तथा वित्तीय नियमों और वित्तीय विनियमों को तदनुसार अनुकूलित करना शामिल है। सहयोगात्मक अनुसंधान पहलों का समर्थन करने के लिए सीआईसीए कोष की स्थापना करना एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सीआईसीए चाहता है कि दानकर्ता इस परियोजना में स्वेच्छा से भाग लें। इराक ने सीआईसीए कोष में 10,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। कजाकिस्तान भी वित्तीय योगदान देने पर विचार कर रहा है।

नई चुनौतियों पर नज़र: एक अधिक सशक्त सीआईसीए एशियाई देशों से व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है। परिवर्तन से सीआईसीए को सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, एशियाई वित्त- भू-दृश्य पर सहयोग, युवा विकास और आर्थिक अंतर्संबंध जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान देने की अनुमति मिल सकती है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नई पहल शुरू की जा सकती है।

सचिवालय: सचिवालय को और अधिक संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण करके एक प्रभावी कार्यकारी संरचना तैयार करना, जो सहयोग के सभी पांच आयामों में सदस्य देशों द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो,

साथ ही महासचिव की भूमिका और सचिवालय की विश्लेषणात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाना, तथा सचिवालय को आवश्यक अधिदेश और संसाधन उपलब्ध कराना।

परिवर्तन के प्रति भारत का नज़रिया: सीआईसीए का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में परिवर्तन सीआईसीए के विकास की भावना के अनुरूप है। भारत सीआईसीए के अध्यक्ष द्वारा इसके गठन के 30वें वर्ष में प्रस्तुत दृष्टिकोण की सराहना करता है, जिसमें सर्वसम्मति और सहयोग की स्वैच्छिक प्रकृति के अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए क्रमिक, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप देने की बात कही गई है।

सीआईसीए परिवर्तन पर अस्ताना वचन में उल्लिखित कनेक्टिविटी को सीआईसीए क्षेत्र में अधिक गति मिलने की संभावना है। भारत विशेष रूप से यूरेशियन क्षेत्र के साथ लचीली आपूर्ति श्रृंखला और पारगमन व्यवस्था विकसित करने का प्रयास कर रहा है। उन्हें तैयार करने और उनसे निपटने के लिए एक सतत और संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है और एक संगठन की अपनी रूपांतरित भूमिका में सीआईसीए इसे पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा।

एशिया और यूरेशिया में, अधिक क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक सहयोग के लिए काम करने वाले विभिन्न व्यवस्था में शंघाई सहयोग संगठन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और यूरेशियन आर्थिक संघ शामिल हैं। सीआईसीए और अन्य मंचों की क्षेत्रीय गतिविधियों के लक्ष्य और उद्देश्य समान हैं और वे प्रकृति में एक- दूसरे के पूरक हैं।

आगे की राह

एशिया तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि यह भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास का नेतृत्व करना जारी रखेगा। प्राकृतिक संसाधनों और उद्यमशील जनशक्ति के

मामले में सीआईसीए को अन्य क्षेत्रीय पहलों की तुलना में तुलनात्मक जनसांख्यिकीय लाभ है, जिससे एशिया को विकास और समृद्धि का जीवंत क्षेत्र बनाया जा सकता है। भारत सीआईसीए को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा एशियाई मंच मानता है, जो इसे सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक बनाता है।

i. आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सीआईसीए सदस्य देशों के बीच एक समर्पित आर्थिक संवाद शुरू कर सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग और आर्थिक परिवर्तन में इसके महत्व की बहुत संभावना है। डिजिटल युग में, डिजिटल सुरक्षा के लिए सहयोग की अधिक आवश्यकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में सहभागिता के नियम बनाने की आवश्यकता है।

ii. सीआईसीए सदस्य देशों के लिए युवा नेताओं के कार्यक्रम पर काम कर सकता है। भारत के पास नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है।

iii. सीआईसीए को सीबीएम की दिशा में काम जारी रखने और आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने की जरूरत है। सीआईसीए को महामारी विज्ञान सुरक्षा में एक साझा नीतिगत ढांचा विकसित करना चाहिए और परामर्श, सहायता, जोखिम सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु व्यवस्था बनानी चाहिए।

अपनी चुनौतियों का समाधान करके तथा अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर, सीआईसीए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को आकार देने तथा एशिया के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रख सकता है।

---

iv. सीआईसीए अपनी सदस्यता को बढ़ाने के लिए एशिया के और अधिक देशों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव वाले देशों को शामिल करने के अपने प्रयासों को जारी रख सकता है, ताकि एक अखिल एशियाई मंच के रूप में इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

v. सीआईसीए को आम चुनौतियों का समाधान करने में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए आसियान और एससीओ जैसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों और पहलों के साथ सहयोग को बढ़ाना चाहिए।

vi. सीआईसीए को अपने कार्यक्रमों और पहलों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसाधनों को जुटाना, तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना सहित अपने स्थायी सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

सीआईसीए पहल को एशिया और दुनिया में चल रहे कई घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में देखा गया। एशिया में एकीकरण का विचार लंबे समय से मौजूद है। सीआईसीए एशिया के विविध और गतिशील क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अद्वितीय मूल्यवान मंच का प्रतिनिधित्व करता है। सीआईसीए का क्रमिक सुदृढ़ीकरण एशियाई देशों की आम आकांक्षा और उनके सामने आने वाले मुद्दों के स्थानीय समाधान खोजने की पहल में विश्वास को दर्शाता है। सीआईसीए ने अपने सदस्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने, विश्वास-निर्माण और संघर्ष की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीआईसीए में बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिसंपन्न देश हैं और यह सुरक्षा एवं विकास संबंधी मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर संवाद के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बन गया है। मंच पर सहयोग प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है।

अपनी चुनौतियों का समाधान करके और अपनी ताकत का लाभ उठाकर, सीआईसीए क्षेत्रीय सुरक्षा रुपरेखा को आकार देने और एशिया के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रख सकता है। शांति के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है और यह एशिया में हम सभी को प्रभावित करता है। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण का पालन करता है और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सीआईसीए के सदस्य देश आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ईमानदारी से सहयोग करें। सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में भावी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं।

सीआईसीए पहल एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सुरक्षा सहयोग सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए शीर्ष सामूहिक प्राथमिकता के रूप में उभर रहा है।

ENDNOTES

1 Ryabchikov, Aleksandr Maximovich , et. al, "Asia," Encyclopedia Britannica, 21 Apr. 2024, https://www.britannica.com/place/Asia. Accessed 22 April 2024.

2 United Nations, "Population 2030: Demographic challenges and opportunities for sustainable development planning" New York, 2015, p.3, https://www.un.org/en/ development/desa/population/publications/pdf/trends/Population2030.pdf, accessed 5 March 2024

3 Jeongmin Seong, et al, "Asia on the cusp of a new era," McKinsey Global Institute, 22 September 2023, https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/asia-on-the-cusp-of-a-new-era, accessed 11 March 2024

4 Jack Stone Truitt, "Asia to drive 60% of global GDP growth in 2024, led by India: IMF," Nikkei Asia, 19 April 2024, https://asia.nikkei.com/Economy/Asia-to-drive-60-of-global-GDP-growth-in-2024-led-by-India-IMF, accessed 1 June 2024

5 SIPRI, "Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity," 22 April 2024, https://www.sipri.org/media/press-release/2024/global-military-spending-surges-amid-war-rising-tensions-and-insecurity, accessed 23 April 2024

6 Togzhan Kassenova, "Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb," Carnegie, https://carnegieendowment.org/2022/02/15/atomic-steppe-how-kazakhstan-gave-up- bomb-pub-86296, accessed 24 April 2024

7 US Department of State, "U.S.-Kazakhstan Relations," fact sheet, 27 February 2023, https://www.state.gov/u-s-kazakhstan-relations/, accessed 7 April 2024

8 United Nations Documents, https://undocs.org/en/A/47/PV.24

9 Voice of Asia: CICA Digest, "CICA's 31st Anniversary: From idea to pan-Asian organization," information and news digest #4(4), 2023, p.10, https://www.s-cica.org/ digiest/2023december.pdf, accessed 10 January 2024

10 Athar Zafar, "CICA Gaining Dynamism in Shifting Focus on Asia," Indian Council of World Affairs, 30 August 2019, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_ id=4785&lid=2387#_edn2

11 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Almaty Act," https://www.s-cica.org/docs/1127838236637b541b9ef48.pdf , accessed 9 January 2024

12 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration on the Principles Guiding Relations Between the CICA Member-States," https://www.s-cica.org/ docs/1868679246284cbdadb9bd.pdf

13 CICA, "Decision of the CICA Ministerial Council on CICA Chairmanship in 2024-2026," 19 March 2024, https://www.s-cica.org/docs/202048051665fa8e4864739.pdf, accessed 25 March 2024

14 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "About CICA," https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=about

15 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "EVOLUTION OF CICA PROCESS AS ON JULY 1, 2010," https://www.s-cica.org/index.php?view=press_releases&id=3, accessed 3 February 2024

16 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Who we are," https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=about, accessed 9 January 2024

17 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA," https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=about#:~:text=The%20Member%20States%2C%20while%20affirming%20their%20commitment%20to,their%20peoples%20live%20in%20 peace%2C%20freedom%20and%20prosperity., accessed 3 March 2024

18 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA Catalogue of Confidence Building Measures," 11-12 October 2021, https://www.s-cica.org/ docs/2088353225628 4cc534415d.pdf, accessed 2 February 2024

19 CICA, "CICA Catalogue of Confidence Building Measures," 11-12 October 2021, https://www.s-cica.org/docs/2095347866195e7b28488f.pdf, accessed 10 March 2024

20 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "An interview with CICA Secretary General Ambassador Kairat Sarybay to the international news magazine «The Diplomat»," December 2022, https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=speeches&id=137#:~:text=CICA%20stands%20out%20for%20having%20 28%20member%20states%2C,and%20from%20the%20Urals%20to%20the%20Indian%20Ocean.%E2%80%9D, accessed 10 December 2023

21 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration of the Second Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia," 17 June 2006, https://www.s-cica.org/docs/40768694062595d70ea169.pdf, accessed 7 March 2024

22 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA Declaration on Eliminating Terrorism and Promoting Dialogue among Civilizations," 4 June 2002, https://www.s-cica. org/docs/184276339262595091 90bfb.pdf, accessed 20 March 2023

23 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration of the Third Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia," 8 June 2010, https://www.s-cica.org/docs/459994088625950a10a963.pdf, accessed 3 February 2024

24 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration of the Second Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia," 17 June 2006, https://www.s-cica.org/docs/40768694062595d70ea169.pdf, accessed 7 March 2024

25 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration on the Principles Guiding Relations between the CICA Member-States," 14 September 1999, https://www.s- cica.org/docs/1868679246284cbdadb9bd.pdf, accessed 20 June 2024

26 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA Plan of Action on the Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy," 13 October 2022, https://www.s-cica.org/docs/41086177363480ba833227.pdf, accessed 10 April 2024

27 UzDaily, "Central Asia Regional Expert Council to hold its meeting in Tashkent," 13 May 2024, https://www.uzdaily.com/en/post/89175, accessed 18 June 2024

28 Organization for Security and Cooperation in Europe, "The inaugural meeting of the Central Asia Regional Expert Council in Rehabilitation and Reintegration of Returnees

convened in Tashkent, Uzbekistan," OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan, 16 May 2024, https://www.osce.org/project-coordinator-in-uzbekistan/568612, accessed 18 June 2024

29 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Mechanism for regional cooperation on rehabilitation and reintegration of returnees from combat and armed conflict zones created in Central Asia," https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=press_releases&id=2075, accessed 18 June 2024

30 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA Declaration on Eliminating Terrorism and Promoting Dialogue among Civilizations," 4 June 2002, https://www.s-cica. org/docs/184276339262595091 90bfb.pdf, accessed 20 March 2023

31 Presentation made by Amb. Bhaskar Balakrishnan at the CICA Think Tanks Forum 2021

32 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "CICA Leaders' Statement on Cooperation in the Field of Security of and in the Use of Information and Communication Technologies," 13 October 2022, https://www.s-cica.org/docs/197319734463480b33852df.pdf, accessed 10 April 2024

33 Conference on Confidence Building Measures in Asia, "Declaration of the Second Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia," 17 June 2006, https://www.s-cica.org/docs/472937110628cb3f2507ef.pdf, accessed 3 March 2024

34 Ugur Turan, "On the path to the CICA Ministerial Conference on Environmental Issues," 'Kazinform' International News Agency, 18 January 2024, https://en.inform. kz/news/on-the-path-to-the-cica-ministerial-conference-on-environmental- issues-2d908a/#:~:text=At%20the%20Sixth%20CICA%20Summit%2C%20the%20President%20of,unwavering%20dedication%20to%20environmental%20protection%20 and%20sustainable%20development., accessed 10 March 2024

35 Ministry of External Affairs, Government of India, "Statement by Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee at the CICA Summit," 4 June 2002, https://www.mea.gov.in/Speeches- Statements.htm?dtl/8129/Statement_by_Prime_Minister_Shri_Atal_Bihari_Vajpayee_at_ the_CICA_Summit, accessed 6 April 2024

36 Ministry of External Affairs, Government of India, "Opening Remarks of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee at the Press Conference in Almaty," 5 June 2002, https://www. mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/8128/Opening_Remarks_of_Prime_Minister_Shri_Atal_Bihari_Vajpayee_at_the_Press_Conference_in_Almaty accessed 6 April 2024

37 Ministry of External Affairs, Government of India, "Statement by His Excellency Shri Murli Deora, Special Envoy of Prime Minister of India, at Second Summit of Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)," 17 June 2006, https:// www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2268/Statement_by_His_Excellency_ Shri_Murli_Deora_Special_Envoy_of_Prime_Minister_of_India_at_Second_Summit_of_Conference_on_Interaction_and_Confidence_Bui, accessed 4 April 2024

38 Ministry of External Affairs, Government of India, "Statement by Secretary (West) Shri Dinkar Khullar at 4th Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Shanghai," 21 May 2014, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23337/

लेखक के बारे में

डॉ. अतहर ज़फर भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में वरिष्ठ शोध फेलो (एसआरएफ) हैं।

वर्ष 2021 में आईसीडब्ल्यूए में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) अध्ययन केंद्र बनने के बाद से उसके प्रमुख रहे हैं। इससे पहले, परिषद में वे शोधार्थी थे जहां ये एक दशक से भी अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे।

ये मध्य एशिया, दक्षिण कॉकस, कैस्पियन सागर और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि एशिया में संवाद और आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए) और एससीओ पर अकादमिक शोध कर रहे हैं।

डॉ. ज़फ़र के लिखे विशेष निबंध (मोनोग्राफ) प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने किताबों, शोध पत्रों का संपादन किया है, व्याख्यान दिए हैं एवं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने भारत और विदेशों में प्रकाशित संपादित संस्करणों में अध्याय भी लिखे हैं।

शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, ये सीआईसीए थिंक टैंक फोरम और SCO फोरम की वार्षिक बैठकों का समन्वय करते हैं एवं इनमें हिस्सा भी लेते हैं। ये सीआईसीए सलाहकार समूह के सदस्य भी हैं।

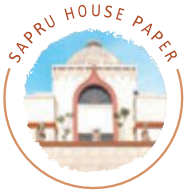

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001, भारत दूरभाष. : +91-11-23317246, फैक्स: +91-11-23320638

www.icwa.in